सत्यमेव जयते

बिहार विधान सभा

की

पर्यटन उद्योग संबंधी समिति

का

षष्टम प्रतिवेदन

वर्ष 2025–2026

(पर्यटन विभाग से संबंधित)

बिहार में पर्यटन विकास के लिये पर्यटन उद्योग संबंधी समिति का षष्टम (6वां) प्रतिवेदन

बिहार विधान सभा सचिवालय, पटना
(पर्यटन उद्योग संबंधी समिति शाखा द्वारा प्रकाशित)

(सदन में उपस्थापित करने की तिथि 25....7......2025 ई0)

विषय सूची

		पृष्ठ
1.	पर्यटन उद्योग संबंधी समिति के सदस्यों की सूची	क
2.	प्राक्कथन	ख
3.	प्रतिवेदन निष्कर्ष एवं समिति की अनुशंसाएँ	1-08
4.	परिशिष्ट	09-62

बिहार विधान सभा सचिवालय

पर्यटन उद्योग संबंधी समिति के सदस्यों की सूची

वर्ष 2025–26

सभापति

1. श्री सत्यदेव राम	स०वि०स०

सदस्यगण

1. श्री सूर्यकान्त पासवान,	स०वि०स०
1. श्री बीरेन्द्र कुमार	स०वि०स०
2. श्री संजय कुमार सिंह	स०वि०स०
3. श्री (डॉ०) संजीव कुमार	स०वि०स०
4. श्री महा नंद सिंह	स०वि०स०
5. श्री अमर कुमार पासवान	स०वि०स०
6. श्री विनय कुमार	स०वि०स०
7. श्री शिव प्रकाश रंजन	स०वि०स०

सभा सचिवालय के पदाधिकारीगण

1. श्रीमती ख्याति सिंह	प्रभारी सचिव
2. श्री उमा शंकर यादव	उप-सचिव
3. श्री बिनोद कुमार यादव	अवर-सचिव
4. श्री अमितेश रंजन	प्रशाखा पदाधिकारी
5. श्री सुनील कुमार	सहायक प्रशाखा पदाधिकारी
6. श्री चमन कुमार	सहायक प्रशाखा पदाधिकारी
7. श्री विमल आनंद	सहायक प्रशाखा पदाधिकारी

प्राक्कथन

मैं सभापति, पर्यटन उद्योग संबंधी समिति की हैसियत से बिहार विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम 211 के तहत पर्यटन उद्योग संबंधी समिति का षष्टम प्रतिवेदन सदन में उपस्थापित करता हूँ।

माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा बिहार में पर्यटन क्षेत्र के विकास के लिये पर्यटन उद्योग संबंधी समिति का गठन दिनांक 16 दिसम्बर, 2005 को किया गया। समिति के गठन के उपरांत समिति द्वारा पर्यटन को सकारात्मक रूप से विकसित करने हेतु लगातार प्रयास किये जा रहे हैं एवं लगातार बैठकें की जा रही है।

पर्यटन उद्योग संबंधी समिति का सभापति बनाकर माननीय अध्यक्ष महोदय ने संसदीय दायित्वों को आगे बढ़ाने की जो जिम्मेवारी मुझे सौंपी है, उसके लिये समिति उनके प्रति कृतज्ञता प्रकट करती है। पर्यटन उद्योग संबंधी समिति द्वारा पर्यटन विभाग के साथ कई बैठकें की गयी तथा दिनांक 16 दिसम्बर, 2024 से 23 दिसम्बर, 2024 तक राज्य के अन्दर किशनगंज, अररिया, मधेपुरा, दरभंगा, मधुबनी, सीतामढ़ी एवं समस्तीपुर जिलों का स्थल अध्ययन यात्रा की गयी। यात्रा के क्रम में जिलों में अवस्थित पर्यटन स्थलों का निरीक्षण किया गया, जिसमें समिति के सदस्यों एवं पर्यटन विभाग ने पर्यटन क्षेत्र को विकसित करने के सुझाव दिये।

इस प्रतिवेदन को तैयार करने में समिति के सभी माननीय सदस्यों के साथ-साथ सभा सचिवालय के पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों की अहम भूमिका रही है, जिसके लिये मैं आभार प्रकट करता हूँ।

सत्यदेव राम,
सभापति,
पर्यटन उद्योग संबंधी समिति,
बिहार विधान सभा, पटना।

पटना :
दिनांक ..... जुलाई, 2025(ई०)।

प्रतिवेदन

पर्यटन उद्योग संबंधी समिति

प्रतिवेदन

बिहार राज्य में र्पटन उद्योग को विकसित करने हेतु सरकार द्वारा चलाये जा रहे विभिन्न कार्यक्रमों पर समिति द्वारा विभागीय बैठकें कर सभा सचिवालय के पत्रांक–प0उ0सं0स0–04/2020–286, दिनांक–22.07.2024 (परिशिष्ट–1), पत्रांक–391, दिनांक–23.08.2024 (परिशिष्ट–2) एवं पत्रांक–463, दिनांक–09.09.2024 (परिशिष्ट–3) के द्वारा प्रेषित प्रश्नावली पर विभाग से प्रतिवेदन की मांग की गयी। इसी आलोक में विभागीय पत्रांक–1759, दिनांक–30.08.2024 (परिशिष्ट–4) एवं पत्रांक–1847, दिनांक–11.09.2024 (परिशिष्ट–5) द्वारा विभाग से समिति के अवलोकनार्थ प्रतिवेदन प्राप्त कराया गया।

समिति द्वारा महसूस किया गया कि प्रतिवेदन में दर्शाये गए आंकड़ों की वास्तविक भौतिक उपलब्धी क्या है, इस हेतु संबंधित जिलों के स्थल पर जाकर अध्ययन किया जाय। इसी निर्णयक` आलोक में समिति द्वारा राज्य के अंदर दिनांक–16.12.2024 से 23.12.2024 तक किशनगंज, अररिया, मधेपुरा, दरभंगा, मधुबनी, सीतामढ़ी एवं समस्तीपुर जिलों का स्थल अध्ययन यात्रा किया गया, जिसमें समिति ने जिलावार निम्न बिन्दुओं का अध्ययन किया:–

<u>जिला–किशनगंज</u>

दिनांक–16.12.2024

किशनगंज पूर्णियाँ का पुराना और महत्वपूर्ण अनुमंडल था। सामाजिक श्रमिकों, राजनेताओं, पत्रकारों, व्यवसायियों एवं किसानों आदि के सत्रह वर्षों के लंबे और कठिन संघर्ष के बाद 14 जनवरी, 1990 को किशनगंज जिला के रूप में अस्तित्व में आया।

किशनगंज जिला एक ऐतिहासिक जगह है जो अररिया, पूर्णियाँ, पश्चिम बंगाल, दार्जिलिंग से घिरा हुआ है। किशनगंज जिला में "सी" श्रेणी के कई र्पटक स्थल चिन्हित किये गये हैं जो निम्न प्रकार हैं:–

1. ओद्रा घाट, काली मंदिर।
2. खगड़ा मेला, किशनगंज।
3. कदमरसूल मजार, किशनगंज।
4. भीम तकिया, ठाकुरगंज ।
5. शिव मंदिर, ठाकुरगंज।
6. बेणुगढ़ किला, टेढ़ागाछ।
7. डेरामारी बड़ीजान सूर्यमंदिर
8. पीर स्थान, कोचाधामा।

यहाँ आम्रपाली प्रशिक्षण कराया जाता है। 14 जनवरी को जिला स्थापना दिवस धूम-धाम से मनाया जाता है।

समिति ने दिनांक–17.12.2024 को खेल मैदान, हालामाला पंचायत मोतिहार का स्थल निरीक्षण किया। खेल मैदान में बास्केट बॉल कोर्ट, बैठमिंटन कोर्ट, बॉलीवाल कोर्ट और रनिंग ट्रैक का निर्माण कराया जा रहा है। यह कोर्ट 2 एकड़ जमीन पर बनाया जा रहा है, इसमें एक छठ घाट का भी निर्माण कराया जा रहा है।

पर्यटक स्थल भीम तकिया मंदिर, ठाकुरगंज का भी स्थल निरीक्षण किया गया। मान्यता है कि अज्ञातवास के दिनों में विशालकाय भीम इसी टीले पर सर रख कर विश्राम करते थे।

<u>जिला– अररिया</u>

<u>18.12.2024</u>

समिति द्वारा समीक्षा के क्रम में अररिया में पर्यटन उद्योग के क्षेत्र में किये जा रहे विकास कार्यों की समीक्षा की गयी। सरकार की ओर से जो भी योजनाएं चलाई जा रही है, वह धरातल पर इम्प्लीमेंट हो रही है की नहीं, जिलों में कार्यान्वयन हो रही है की नहीं, पदाधिकारियों से विमर्श किया। पदाधिकारियों द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत किया गया। जिले के पर्यटन स्थलों की जानकारी दी, जिसमें प्रमुख पर्यटन स्थल बाबा सुन्दरनाथ धाम एवं सुन्दरी मठ का समिति द्वारा स्थल निरीक्षण किया गया। बाबा सुन्दरनाथ धाम भगवान शिव का अति प्राचीन मंदिर है। मान्यता है कि महाभारत काल में अज्ञातवास के दौरान पाण्डव कुछ समय के लिए यहाँ रुके थे और माता कुन्ती ने इस पौराणिक मंदिर में पूजा–अर्चना की थी।

सुन्दरी मठ, केशरी टोला में दूर-दराज से लोग आते हैं। मान्यता है कि मुस्लिम समुदाय के लोग भी अपने बाल–बच्चों का यहाँ मुंडन करवाते हैं। यह मठ हिन्दू–मुस्लिम के लिए आस्था का प्रतीक है।

आम्रपाली प्रशिक्षण केन्द्र का विभाग द्वारा अभी तक पूरा स्टेब्लिशमेंट नहीं हुआ है। विभाग द्वारा पत्राचार किया जा रहा है।

<u>जिला–मधेपुरा</u>

<u>19.12.2024</u>

स्थल अध्ययन यात्रा कार्यक्रम के तहत डायरेक्टर की डी0आर0डी0एस0, मधेपुरा द्वारा समिति के माननीय सभापति सहित सभी माननीय सदस्यों का अभिनन्दन किया गया।

समिति को कला संस्कृति एवं युवा विभाग द्वारा बतलाया गया कि यहाँ आम्रपाली प्रशिक्षण केन्द्र का निर्माण किया गया है, जो अभी ओपेन नहीं हुआ है। एक कार्यशाला का आयोजन हुआ था, जो अभी प्रकियाधीन है।

गोपाअष्टमी महोत्सव चल रहा है, यह महोत्सव राज्य स्तर पर होता है जो 06 से 15 दिसंबर तक चला है। यह महोत्सव वर्ष में कितनी बार होता है। कला संस्कृति विभाग में किस–किस प्रकार की योजनाएं चल रही हैं, उसकी एक समेकित रिपोर्ट की मांग की गयी।

समिति द्वारा तुलसीबाड़ी, मोती उत्पादन केन्द्र का स्थल निरीक्षण किया गया। यहाँ मोती का उत्पादन किया जाता है। एक मोती 1000/रू0 से 1200/रू0 में मिलता है। इसमें 10,000 सिप डालने पर लगभग 20,000 मोती निकलता है। मोती तैयार होने में 18 महीने का समय लगता है। मोती में डिजाईनिंग भी किया जाता है। कई तरह के व्यावसायिक पौधे भी लगाए गए हैं, जैसे गुलाब जामुन का पौधा, कागजी बादाम आदि। फलसा का पौधा भी है जिसे गर्मियों का फल भी कहा जाता है। अमेजन पर 50 ग्राम का दाम 500 रू0 है।

समिति द्वारा मनरेगा पार्क, छठ घाट (अमृत सरोवर), ग्रामीण द्वार, खेल मैदान आदि का स्थल निरीक्षण किया गया एवं विकास हेतु अनेक सुझाव बतलाए गए।

सिंहेश्वर मंदिर, मधेपुरा का भी स्थल निरीक्षण किया गया। मंदिर की जो समिति है उसका डिसीजन है कि इस स्थल को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित कराना है। इसे पर्यटन स्थल का दर्जा दिया जाय। पर्यटन स्थल का दर्जा मिलने पर ज्यादा बेनिफिट होगा। इस मंदिर के पास 122 एकड़ जमीन है। मंदिर के विकास के लिए एक प्रपोजल तैयार कर डी0एम0 को भेजा गया है। मंदिर विकास के लिए समिति अपना प्रस्ताव तैयार कर समिति के पास भेजगी, जिस पर समिति विचार करेगी।

<u>जिला– दरभंगा</u>

<u>20.12.2024</u>

स्थल अध्ययन यात्रा के क्रम में समिति ने दरभंगा जिला के विभिन्न पर्यटन स्थलों का निरीक्षण किया। निरीक्षण के क्रम में बतलाया गया कि जिला में 11 मुख्य पर्यटन स्थल हैं, जिसको डेवलप करने के लिए प्रस्ताव राज्य सरकार को भेजा जा रहा है। कुशेश्वर स्थान, दरभंगा के स्थल निरीक्षण में बतलाया गया कि इस मंदिर का इतिहास रामायण काल से जुड़ा हुआ है। यहां पर सावन महीने में भोलेनाथ की विशेष पूजा की जाती है, जिसमें हजारों लोग शामिल होते हैं। मंदिर में सालों भर नेपाल, झारखण्ड, बंगाल एवं राज्य के विभिन्न जिलों से भक्तों का आना–जाना लगा रहता है। एक प्रसिद्ध मान्यता के अनुसार यहाँ पर मौजूद शिवलिंग की स्थापना भगवान श्री राम के पुत्र कुश ने की थी, इसलिए इस मंदिर का नाम कुशेश्वर स्थान पड़ा।

जो रिपोर्ट दी गयी है उसमें पर्यटीय स्थल को कैटोगराइज नहीं किया गया है, केवल ए० बी० सी० सीरियली बनाकर दे दिया गया है।

स्थल निरीक्षण के क्रम में समिति को बताया गया कि यहां पर एक प्रमुख स्थान हसन चौक पर नेशनल स्कूल है, जो महात्मा गांधी द्वारा स्थापित है। हसन चौक पर नेशनल स्कूल का भी स्थल निरीक्षण किया। स्थानीय लोगों द्वारा बतलाया गया कि वर्ष 1920 में इस स्कूल की स्थापना महात्मा गांधी जी द्वारा की गयी थी। जिन बच्चों के माता–पिता नहीं थे, उन लोगों की शिक्षा–दीक्षा यहाँ पर होती थी। दरभंगा जिला का यह एक ऐतिहासिक स्कूल है। स्थानीय लोगों की मांग है कि इस स्कूल का जीर्णोद्धार कर स्कूल फिर से चालू किया जाय। जिस तरह से पहले निर्धन, गरीब परिवार के बच्चे पढ़ते थे, हॉस्पीटल की व्यवस्था थी, उसी तरह से नेशनल अनाथ विद्यालय के रूप में विकसित किया जाय और मान्यता मिले। इस विद्यालय के पास लगभग 5–6 कट्ठा जमीन है।

यहाँ पर बहादुरपुर प्रखण्ड अंतर्गत अंदामा गाँव में अंदामा कबीर मठ ऐतिहासिक और धार्मिक स्थल के रूप में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। यहाँ देश–विदेश के कबीर पंथ के हजारों लोग आते रहते हैं। माघ माह की पूर्णिमा के दिन यहाँ कबीर पंथ के संतों और अनुयायियों का महासम्मेलन होता है। इसे भी पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जाय।

जिला–मधुबनी

21.12.2024

स्थल अध्ययन यात्रा के क्रम में समिति द्वारा मधुबनी जिला के पदाधिकारियों से समीक्षा बैठक कर जिला के पर्यटन स्थलों का स्थल निरीक्षण किया।

जिलों में सरकार द्वारा पर्यटन उद्योग के विकास के लिए जो योजनाएँ चलाई जा रही हैं उसका रिव्यू करने का कार्य समिति करती है। इन योजनाओं को इम्प्लीमेंट करने में कोई दिक्कत आती है तो समिति स्थल निरीक्षण कर उसमें कहीं कोई ऐसी चीज जो दबी हुई है सरकार के नजर में नहीं है तो इसकी रिपोर्ट बनाकर सरकार को बतलाती है ताकि कुछ इन्फ्रास्ट्रक्चर का निर्माण हो और लोगों को उन स्थानों पर आने–जाने, देखने–समझने में दिक्कत न हो।

पर्यटन स्थल की सूची तीन श्रेणियों में बनाकर समिति को समर्पित किया गया। सरकार को भी प्रस्ताव भेजा गया है।

स्थल अध्ययन के क्रम में समिति ने उगना महादेव मंदिर भवानीपुर पंडौल का स्थल निरीक्षण किया। इस मंदिर की विशेषता है कि विद्यापति की भक्ति से भगवान शिव इतने

प्रभावित हुए कि उगना नौकर के रूप में विद्यापति के साथ रहने लगे। विद्यापति जहां कहीं जाते उगना को अपने साथ ले जाते। इसलिए इस मंदिर का नाम उगना महादेव मंदिर पड़ा।

कई अन्य पर्यटक स्थल हैं जैसे– राम जानकी मंदिर, लक्ष्मी मंदिर लखनौर, सूर्य मंदिर, रिवर फ्रंट, उगना महादेव मंदिर आदि।

उचैट मंदिर का जो प्रस्ताव भेजा गया है उसमें स्पेशल केस है, लोकेशन एस0 एस0 सी0 का है, प्रोसेस किया जा रहा है। इंसीऐटिव लेकर भारत सरकार को प्रस्ताव भेजा हुआ है।

राम जानकी मंदिर एक प्रसिद्ध स्थल है, जो मिथिलांचल क्षेत्र में प्रसिद्ध है। यह मंदिर भगवान राम औरे सीता माता को समर्पित है और विवाह पंचमी जैसे त्योहारों पर विशेष रूप से मनाया जाता है। इस मंदिर में राम–सीता विवाह का आयोजन किया जाता है।

मिथिला चित्र कला संस्थान का स्थल निरीक्षण– इस संस्थान की शुरूआत 2012–13 में हुआ है। इसका भवन वर्ष 2022 में बनकर तैयार हुआ है। यहाँ 3 पद्मश्री हैं, जो शिक्षक के रूप में यहाँ पर कार्यरत हैं। यहाँ पर जब स्थायी रूप से डायरेक्टर नहीं होते हैं तो डी0एम0 ही डायरेक्टर के रूप में कार्य करते हैं। यहाँ पर 30–30 बच्चों का बैच चलता है। अध्ययन करने वाले छात्रों को यूनिवर्सीटी फीस और एक्जामिनेशन फीस को छोड़कर अन्य कोई फीस नहीं लगता है। डिग्री कोर्स और सर्टिफिकेट कोर्स के लिए परीक्षा आयोजित कर छात्रों का चयन किया जाता है। इसमें एक कोर्स 3 साल का और एक कोर्स 6 महीने का होता है।

समिति ने कपिलेश्वर स्थान का भी स्थल निरीक्षण किया। कपिलेश्वर स्थान मंदिर में प्रभु श्रीराम और माता सीता के विवाह के दौरान जनकपुर प्रवास करते हुए कपिल मुनि इस स्थान पर विश्राम कर रहे थे, इसलिए इस मंदिर का नाम कपिलेश्वर स्थान पड़ा।

<u>जिला–सीतामढ़ी</u>

<u>22.12.2024</u>

स्थल अध्ययन यात्रा के क्रम में समिति द्वारा जिला के पदाधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक कर पर्यटन संबंधी विकास योजनाओं की जानकारी ली और स्थल अध्ययन किया।

समिति द्वारा पुनौराधाम मंदिर का स्थल निरीक्षण किया गया। माना जाता है कि माता सीता का जन्म इसी स्थान पर हुआ था। एक अन्य कहानी है कि जब मिथिला में भीषण अकाल पड़ा था तब यहाँ के लोगों ने राजा जनक को खेत में हल चलाने के लिए कहा था

और जब राजा जनक हल चला रहे थे तब उनको जमीन में एक बर्तन मिला जिसमें माता सीता शिशु अवस्था में थी। यहाँ एक सरोवर भी है जो जानकी कुंड के नाम से प्रसिद्ध है।

बाबा नागेश्वर नाथ मंदिर, पुरारी का भी स्थल अध्ययन किया एवं पर्यटन के क्षेत्र में विकास की संभावनाओं पर ध्यान आकृष्ट किया गया।

हलेश्वर स्थान सीतामढ़ी का स्थल निरीक्षण के क्रम में समिति ने जाना कि मिथिला के राजा जनक जो माता सीता जी के पिता थे उन्होंने ही इस मंदिर का निर्माण करवाया था। यहाँ भगवान शिव की पूजा की जाती है।

जानकी स्थल मंदिर का भी स्थल निरीक्षण किया गया।

<u>जिला–समस्तीपुर</u>

<u>23.12.2024</u>

स्थल अध्ययन निरीक्षण के क्रम में समिति द्वारा समस्तीपुर जिला में पर्यटन उद्योग विकास की संभावनाओं पर पदाधिकारियों से विमर्श एवं स्थल निरीक्षण किया गया। यहां रोसरा नगर में अवस्थित लक्ष्मीपुर बगीचा, कबीर मठ कबीर पंथ के धर्मदासीय संप्रदाय का एक महत्वपूर्ण मठ है। इस मठ की स्थापना कबीर पंथ के अनुयायियों द्वारा लगभग 500 वर्ष पूर्व इस मठ की स्थापना की गयी थी। यह मठ लगभग 10 एकड़ फैला हुआ है जिसमें विशाल मंदिर का निर्माण कराया गया है। इसे पर्यटक स्थल के रू‍ में विकसित कर अधिक से अधिक अनुयायियों को आकर्षित किया जा सकता है।

इसके अलावा यहां पर मुक्तापुर मोईन, तालाब भी है जो जल–जीवन हरियाली के अंतर्गत विकसित किया जा रहा है। यह लगभग 59 एकड़ का है जिसमें 45 मीटर का पईन है। इसमें कई विभाग इंवोल्व हैं। मत्स्य संसाधन विभाग एवं कला संस्कृति विभाग द्वारा सौंदर्यीकरण का कार्य किया जा रहा है।

यहां मन्नीपुर मंदिर, बाबा खुदनेश्वर धाम मंदिर आदि पर्यटक स्थल हैं। यह मंदिर माई स्थान के नाम से प्रसिद्ध है और यहां देवी दुर्गा की पूजा की जाती है।

उगना महादेव मंदिर, विद्यापति नगर, समस्तीपुर का स्थल निरीक्षण किया गया। इस मंदिर की विशेषता है कि यहां भगवान शिव ने मैथिल कवि विद्यापति को मूल रूप में दर्शन दिया था।

खुदनेश्वर धाम शिव मंदिर भी एक बड़ा र्प्यटक स्थल है। यहां एक ही छत के नीचे मंदिर और मजार भी है। उसमें खुदनेश्वर संस्कृत विद्यालय भी संचालित है। यहां हिन्दु, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी धर्मों के लोग आते हैं। यहां 14 एकड़ का प्लॉट लेकिन उसकी घेराबंदी नहीं हुई है। शिवरात्री के दिन यहां पर लाखों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं। दो

एकड़ में फैला एक पोखर भी है जो खंडहर बन चुका है। सीढ़ी का निर्माण नहीं हो पाया है। इस मंदिर की चाहरदीवारी कर संस्कृत विद्यालय का जीर्णोद्धार एवं दो विवाह भवन बनाकर पर्यटकों की सुविधाओं को बढ़ाने का सुझाव दिया गया है।

निष्कर्ष

समिति द्वारा राज्य में पर्यटन उद्योग को विकसित करने के लिए पर्यटन विभाग के पदाधिकारियों के साथ विभागीय बैठकें की गईं। बैठकों में पर्यटन उद्योग के विकास पर विमर्श हुआ एवं सरकार द्वारा चलायी जा रही योजनाओं की प्रतिवेदन के माध्यम से समिति के समक्ष उपलब्ध कराया गया। पर्यटन विभाग द्वारा राज्य में पर्यटन से संबंधित कई राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय एवं राज्य स्तर के पर्यटक क्षेत्रों को विकसित करने एवं संरक्षित रखने के लिए कार्य किये जा रहे हैं। बिहार प्राचीन काल से ही राजनैतिक, सांस्कृतिक, ज्ञान–विज्ञान एवं कला के क्षेत्र में अग्रणी रहा है। असंख्य पौराणिक एवं ऐतिहासिक धरोहर हैं जिनका गौरवशाली इतिहास रहा है। यहां सभी धर्मों के सांस्कृतिक एवं ऐतिहासिक पर्यटक स्थल हैं। ऐसे ही धार्मिक, सांस्कृतिक एवं ऐतिहासिक पर्यटकीय क्षेत्रों की ओर ध्यान आकृष्ट कराया गया।

बिहार के पर्यटक क्षेत्रों के विकास के लिए अभी बहुत काम किया जाना है। पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए ऐतिहासिक, सांस्कृतिक एवं धार्मिक स्थलों के साथ–साथ ग्रामीण क्षेत्र के पर्यटकीय स्थलों को भी विकसित किया जाना है। पर्यटकीय स्थलों पर मूलभूत सुविधाओं की काफी कमी दिखाई पड़ी। पर्यटकों के ठहरने के लिए अच्छे होटल का अभाव, साफ–सफाई, पेयजल, यात्री विश्राम गृह, धर्मशाला इत्यादि की भी कमी महसूस की गई।

समिति की अनुसंशाएँ

1. राज्य के सभी पर्यटक स्थलों पर यथा सड़क, बिजली, पीने का पानी, शौचालय का निर्माण कराया जाना चाहिए।
2. पर्यटक स्थलों तथा पर्यटन के विकास के लिए विभागीय स्तर पर बार–बार समीक्षा होनी चाहिए।
3. राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर के पर्यटक स्थलों पर अच्छे होटल एवं कॉन्फ्रेंस हॉल का निर्माण कराया जाना चाहिए।
4. ग्रामीण क्षेत्रों के पर्यटक स्थलों तक पर्यटकों के पहुंचने के लिए अच्छी सड़क एवं वाहन की सुगमता उपलब्ध करानी चाहिए।
5. जिन पर्यटक स्थलों का रख–रखाव नहीं होने से जीर्ण–शीर्ण हो गया है, उसका संरक्षण करने के लिए जीर्णोद्धार करते हुए चाहरदीवारी का निर्माण कराया जाना चाहिए।

6. अतिक्रमित पर्यटक स्थलों को अतिक्रमण मुक्त भी कराया जाना चाहिए।
7. प्राचीन मंदिरों की कीमती मूर्तियों की चोरी न हो, इसकी रोकथाम के लिए पुलिस चौकी की भी व्यवस्था होनी चाहिए।
8. पर्यटकीय स्थलों की साफ–सफाई एवं देख–रेख की उचित व्यवस्था की जानी चाहिए।
9. ऐसे पर्यटकीय स्थल जहां तालाब एवं जलाशय हैं, सीढ़ी घाट की व्यवस्था एवं पानी की शुद्धता का भी ध्यान रखा जाना चाहिए।
10. विदेशी पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर की सुविधाएं पर्यटकों को मिले, इसका भी ध्यान रखा जाना चाहिए।

पटना।

दिनांक– जुलाई, 2025 (ई०)

(सत्यदेव राम)
सभापति
पर्यटन उद्योग संबंधी समिति
बिहार विधान सभा, पटना।

परिशिष्ट

परिशिष्ट 1

बिहार विधान-सभा सचिवालय

पत्र संख्या-प०उ०सं०स०-04/2020-286 /वि०स० ।

प्रेषक,

बिनोद कुमार यादव,
अवर सचिव,
बिहार विधान सभा, पटना ।

सेवा में,

सचिव,
पर्यटन विभाग,
बिहार सरकार, पटना ।

पटना, दिनांक- 22 जुलाई, 2024

विषयः- प्रतिवेदन उपलब्ध कराने के संबंध में ।

महाशय,

निदेशानुसार सूचित करना है कि बिहार विधान सभा की पर्यटन उद्योग संबंधी समिति की दिनांक-24.06.2024 को हुई विभागीय बैठक में आपसे हुए विचार-विमर्श के उपरांत निम्नलिखित विचारणीय बिन्दुओं पर प्रतिवेदन की अपेक्षा की गई है ।

1. वैशाली जिला अंतर्गत विश्व शांति स्तूप, रैलीक स्तूप, राजा विशाल का गढ़, ASI म्यूजियम और जैन मंदिर, बावन पोखर का विकास एवं पर्यटकों के लिये वहाँ मूलभूत सुविधा उपलब्ध कराए जाने के संबंध में ;

2. पर्यटन विभाग, बिहार सरकार का जिला स्तर पर अपना कैडर बनाये जाने के संबंध में ;

3. सिवान जिला अंतर्गत तितरा बंगरा स्तूप के जमीन का पैमाइश कराने एवं द्रोणा को सिवान जिला के पर्यटन स्थलों में जोड़ने के संबंध में ;

4. सिवान जिला में डॉ० राजेन्द्र प्रसाद के पैतृक स्थल को पर्यटन स्थल के कैटेगरी A में शामिल करने तथा इसके जमीन की पैमाइश कराने के संबंध में ;

5. सिवान जिला अंतर्गत महेन्द्रनाथ धाम में तीन सौ एकड़ का जो तालाब है उसमें बोट की व्यवस्था शुरू करने, लाईट, शौचालय की व्यवस्था तथा सौंदर्यीकरण कराने के संबंध में ;

6. औरंगाबाद जिला अंतर्गत भगवान बुद्ध मंदिर, मनौरा में जो प्रतिमा है, उसकी ASI से जाँच के संबंध में ;

7. जहानाबाद जिला के धेजन मंदिर की जमीन की पैमाइश कराने तथा इस मंदिर को पर्यटक स्थल का दर्जा दिलाने के संबंध में ;

8. औरंगाबाद जिला के कस्बा में शहीद हुए स्वर्गीय जीवधर बाबू के नाम पर पार्क बनाने के संबंध में ;

9. अरवल जिला के जनकपुरधाम और मखदूम शाह के मजार को कैटेगरी B में शामिल करने के संबंध में ;

10. गया जिला अंतर्गत बैजूधाम को पर्यटन स्थल का दर्जा देने के संबंध में ; एवं

11. गया जिला अंतर्गत भुरहा एवं पुनेरी का सौंदर्यीकरण कराने तथा स्ट्रीट लाइट लगवाने के संबंध में ।

अतः अनुरोध है कि उक्त बिन्दुओं पर वांछित विभागीय प्रतिवेदन 15 (पंद्रह) प्रतियाँ पत्र प्राप्ति के दस दिनों के अंदर समिति के अवलोकनार्थ सभा सचिवालय को उपलब्ध कराने की कृपा की जाय ।

विश्वासभाजन,
बिनोद कुमार यादव 22/7/24
(बिनोद कुमार यादव)
अवर सचिव,
बिहार विधान सभा, पटना ।
22-07-2024

परिशिष्ट 2

बिहार विधान सभा सचिवालय

पत्र संख्या-प०उ०सं०स०-4/2020- 391 /वि०स० ।

प्रेषक,

बिनोद कुमार यादव,
अवर सचिव,
बिहार विधान सभा, पटना ।

सेवा में,

सचिव, पर्यटन विभाग, बिहार सरकार, पटना ।
सचिव, कला संस्कृति एवं युवा विभाग, बिहार सरकार, पटना ।

पटना, दिनांक- 23 अगस्त, 2024 (ई०)।

विषयः- पर्यटन उद्योग संबंधी समिति की दिनांक-02.09.2024 को आयोजित विभागीय बैठक के संबंध में ।

महोदय,

निदेशानुसार सूचित करना है कि पर्यटन उद्योग संबंधी समिति की आगामी बैठक दिनांक-02.09.2024 को 12.30 बजे अप० में बिहार विधान सभा सचिवालय के विस्तारित भवन स्थित समिति कक्ष, पटना में होगी, जिसमें समिति सभा सचिवालय के द्वारा पर्यटन विभाग को प्रेषित पत्रांक-286, दिनांक-22.07.2024 (संलग्न) में अंकित प्रश्नावली के उत्तर प्रतिवेदन पर पर्यटन विभाग के साथ विचार-विमर्श करेगी, जो अभी तक सभा सचिवालय को अप्राप्त है । साथ ही समिति शीघ्र ही राज्य के अंदर समस्तीपुर, दरभंगा, सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर, मधुबनी एवं सहरसा जिलों में स्थित पर्यटकीय स्थलों का स्थल अध्ययन यात्रा करेगी ।

अतएव सभा सचिवालय के उक्त पत्रांक के द्वारा पर्यटन विभाग से माँग की गयी वांछित प्रतिवेदन एवं उक्त जिलों में विगत तीन वर्षों में पर्यटन के विकास से संबंधित जो भी योजनाएं चल रही है या पूर्ण हो गयी है, इससे संबंधित समेकित अद्यतन उत्तर प्रतिवेदन पंद्रह प्रतियों में समिति की दिनांक-02.09.2024 को निर्धारित बैठक से तीन दिन पूर्व उपलब्ध कराते हुए यथा निर्धारित तिथि, समय एवं स्थान पर भाग लेने की कृपा की जाय ।

विश्वासभाजन,

बिनोद कुमार यादव 23/8/24
(बिनोद कुमार यादव)
अवर सचिव,
बिहार विधान सभा, पटना ।
अभिप्राक
23.08.2024

परिशिष्ट 3

बिहार विधान-सभा सचिवालय

पत्र संख्या-प०उ०सं०स०-4/2020- 463 /वि०स० ।

प्रेषक,

संजय कुमार,
उप सचिव,
बिहार विधान सभा, पटना ।

सेवा में,

सचिव, पर्यटन विभाग, बिहार सरकार, पटना ।
सचिव, कला संस्कृति एवं युवा विभाग, बिहार सरकार, पटना ।

पटना, दिनांक- 09 सितम्बर, 2024 (ई०) ।

विषय:- पर्यटन उद्योग संबंधी समिति की दिनांक-12.09.2024 को 12.30 बजे अप० में आयोजित विभागीय बैठक के संबंध में ।

महाशय,

निदेशानुसार सूचित करना है कि बिहार विधान सभा की पर्यटन उद्योग संबंधी समिति की दिनांक-02.09.2024 को हुई विभागीय बैठक में आपसे हुए विचार-विमर्श के उपरांत निम्नलिखित विचारणीय बिन्दुओं पर प्रतिवेदन की अपेक्षा की गई है ।

1. वैशाली जिला अंतर्गत होटल आम्रपाली के जीर्णोद्धार में कितनी राशि किन-किन योजनाओं में खर्च की गई है, योजनावार अद्यतन प्रतिवेदन ।
2. वैशाली जिला अंतर्गत विश्व शांति स्तूप में पर्यटकीय विकास में कराए गये कार्यों की योजनावार अद्यतन प्रतिवेदन ।
3. वैशाली जिला में स्वदेश दर्शन 1.0 के तहत जैन सर्किट के तहत कराये गये कार्यों का योजनावार अद्यतन प्रतिवेदन ।
4. खगड़िया जिला के कात्यायनी देवी मंदिर का डी०पी०आर० उपलब्ध कराने के संबंध में प्रतिवेदन ।
5. खगड़िया जिला के परबत्ता में स्थित स्वर्ण दुर्गा मंदिर, बैरम सिंह महल एवं अगुवानी घाट के निर्माण कराने के संबंध में प्रतिवेदन ।
6. अरवल जिला के मधुश्रवा में कराये जा रहे कार्य को शीघ्र पूर्ण कराने के संबंध में प्रतिवेदन ।
7. गया जिला के बैकु धाम में प्रवेश द्वार के तरह निकास द्वार, अतिथि गृह, धर्मशाला, सड़क एवं पार्क बनाने के संबंध में प्रतिवेदन ।
8. गया जिला के धुरहा में शमशान स्थल पर स्ट्रीट लाइट लगाने के संबंध में प्रतिवेदन ।
9. वैशाली जिला के लालगंज में स्थित पोखर के जीर्णोद्धार, गुरूद्वारा में कराये जा रहे कार्यों की गुणवत्ता की जांच एवं सराय से लालगंज को जोड़ने वाली बुद्ध मार्ग सड़क के निर्माण कराये जाने के संबंध में प्रतिवेदन ।
10. औरंगाबाद जिला अंतर्गत भगवान बुद्ध मंदिर, मनौरा के विकास करने के संबंध में प्रतिवेदन उपलब्ध करायें ।
11. सिवान जिला में डॉ० राजेन्द्र प्रसाद के पैतृक स्थल को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने तथा इसके जमीन की पैमाइश कराने संबंधी अद्यतन प्रतिवेदन ।
12. बिहार राज्य में कौन-कौन पर्यटन स्थल में पर्यटन विभाग एवं ASI के द्वारा पर्यटक स्थल के विकास से संबंधित कार्य कराये जाते हैं, इसकी विस्तृत सूची पर प्रतिवेदन ।
13. सिवान जिला अंतर्गत तितरा बंगरा स्तूप के जमीन की पैमाइश करवाकर उसका विकास करने के संबंध में प्रतिवेदन ।

उपर्युक्त प्रश्नावली के उत्तर प्रतिवेदन पर पर्यटन विभाग, कला संस्कृति एवं युवा विभाग बिहार सरकार एवं भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, पटना अंचल के साथ विचार-विमर्श करेगी साथ ही समिति दिनांक-18.09.2024 से 27.09.2024 तक राज्य के अंदर मुजफ्फरपुर, सुपौल, सहरसा, पूर्णिया मधेपुरा, मधुबनी, सीतामढ़ी, दरभंगा एवं समस्तीपुर जिलों में स्थित पर्यटकीय स्थलों का स्थल अध्ययन यात्रा करेगी । अतः उपरोक्त प्रश्नावली पर अद्यतन समेकित उत्तर प्रतिवेदन एवं उक्त जिलों में विगत तीन वर्षों में पर्यटन के विकास से संबंधित जिन सभी विभागों द्वारा जो भी योजनाएं चल रही है या पूर्ण हो गई है उससे संबंधित अद्यतन उत्तर प्रतिवेदन पंद्रह प्रतियों में समिति की दिनांक-12.09.2024 को 12.30 बजे अ०प० में निर्धारित बैठक से तीन दिन पूर्व उपलब्ध कराते हुए यथा निर्धारित तिथि, समय एवं स्थान पर भाग लेने की कृपा की जाय ।

विश्वासभाजन,

(संजय कुमार)
उप सचिव,
बिहार विधान सभा, पटना ।

परिशिष्ट 4

बिहार सरकार
पर्यटन विभाग
न्यू एग्जटेंशन बिल्डिंग, ब्लॉक नं०-बी०, प्रथम तल, मुख्य सचिवालय, पटना।
फोन +91-612-2217989, website: www.bihartourism.gov.in

BIHAR TOURISM Blissful Bihar

संचिका संख्या– पर्य०सचि०/लेखा–13/2012 खण्ड–III ...1759........

प्रेषक,

विशेष कार्य पदाधिकारी,
पर्यटन विभाग, बिहार, पटना।

सेवा में,

अवर सचिव,
बिहार विधान सभा,
बिहार, पटना।

दिनांक 30 अगस्त, 2024 (ई०)।

विषय:– प्रतिवेदन उपलब्ध कराने के संबंध में

प्रसंग :– आपका पत्रांक–391 दिनांक 30.08.2024 एवं पत्रांक–286 दिनांक–22.07.2024

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के संबंध में कहना है कि बिहार विधान सभा की पर्यटन उद्योग संबंधी समिति से प्राप्त प्रश्नावली का उत्तर प्रतिवेदन संलग्न कर प्रेषित की जा रही है।

अनु०–यथोक्त। (15 प्रतियों में)

विश्वासभाजन,

(हस्ताक्षर) 30/8/24

विशेष कार्य पदाधिकारी,
पर्यटन विभाग, बिहार, पटना।

परिशिष्ट 5

बिहार सरकार
पर्यटन विभाग
न्यू एक्सटेंशन बिल्डिंग, ब्लॉक नं०-बी०, प्रथम तल, मुख्य सचिवालय, पटना।
फोन: +91-612-2217989, website: www.bihartourism.gov.in

संचिका संख्या– पर्य०सचि०/लेखा–13/2012 खण्ड–III ...1847.....

प्रेषक,

विशेष कार्य पदाधिकारी,
पर्यटन विभाग, बिहार, पटना।

सेवा में,

उप सचिव,
बिहार विधान सभा, सचिवालय,
बिहार, पटना।

दिनांक 11 सितम्बर, 2024 (ई०)।

विषय:– प्रतिवेदन उपलब्ध कराने के संबंध में

प्रसंग :– आपका पत्रांक–463 दिनांक– 09.09.2024

महाशय,

निदेशानुसार उपर्यक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के संबंध में कहना है कि बिहार विधान सभा की पर्यटन उद्योग संबंधी समिति से प्राप्त प्रश्नावली का उत्तर प्रतिवेदन तथा पर्यटकीय स्थलों का स्थल अध्ययन यात्रा से सम्बंधित जिला (मुजफ्फरपुर, सुपौल, सहरसा, पूर्णिया, मधेपुरा, मधुबनी, सीतामढ़ी, दरभंगा तथा समस्तीपुर) का प्रतिवेदन संलग्न कर प्रेषित की जा रही है।

अनु०–यथोक्त। (15 प्रतियों में)

विश्वासभाजन,
(हस्ताक्षर) 11/09/24
विशेष कार्य पदाधिकारी,
पर्यटन विभाग, बिहार, पटना।

बिहार विधान सभा की पर्यटन उद्योग संबंधी समिति की बैठक से उद्भूत सभा सचिवालय पत्रांक–288 दिनांक 22.07.2024 द्वारा प्राप्त प्रश्नावली का अनुपालन प्रतिवेदन

क्र०.	प्रश्नावली	उत्तर सामग्री
1	वैशाली जिला अन्तर्गत विश्व शांति स्तूप, रैलीक स्तूप, राजा विशाल का गढ़, ASI म्युजियम और जैन मंदिर, बावन पोखर का विकास एवं पर्यटकों के लिये वहाँ मूलभूत सुविधा उपलब्ध कराये जाने के संबंध में।	पर्यटन विभाग द्वारा तिनमुहानी के पास पर्यटन कम्पलेक्स का निर्माण कराया गया है, जिसमें मूलभूत सुविधा उपलब्ध है। होटल आम्रपाली विहार का जीर्णोद्धार, विश्व शान्ति स्तूप में पर्यटकीय विकास एवं अभिषेक पुष्करणी सरोवर में जलापूर्ति इत्यादि कार्य किया गया है। साथ ही स्वदेश दर्शन 1.0 के तहत राज्य में जैन परिपथ का विकास किया गया है। इसी योजना के तहत वैशाली में मार्गीय सुविधा का निर्माण कराया गया है। पर्यटन विभागीय पत्रांक 1728 दिनांक 28.08.2024 द्वारा बावन पोखर के स्थल निरीक्षण हेतु बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम को पत्र प्रेषित किया गया है।
2	पर्यटन विभाग, बिहार सरकार का जिला स्तर पर अपना कैडर बनाये जाने के संबंध में।	पर्यटन विभाग अन्तर्गत बिहार पर्यटन संवर्ग नियमावली–2013 के तहत् पर्यटन निदेशालय का एक कैडर है, जिसकी विवरणी निम्नवत् है:–सूचना सहायक ग्रेड–2–31 पद, सूचना सहायक ग्रेड–1–33 पद, सहायक पर्यटक सूचना अधिकारी–25 पद, पर्यटक सूचना अधिकारी–08 पद, सहायक निदेशक– 06 पद, उप निदेशक–03 पद। परन्तु यह संख्या पर्याप्त नहीं है। अतः पर्यटन विभाग का एक विस्तृत कैडर बनाये जाने की आवश्यकता है।
3	सिवान जिलान्तर्गत तितरा, बंगरा स्तूप के जमीन पर पैमाइस कराने एवं द्रोणा को सिवान जिला के पर्यटन स्थलों में जोड़ने के संबंध में।	सिवान जिलान्तर्गत तितरा बंगरा स्तूप पुरातत्व निदेशालय (कला संस्कृति एवं युवा विभाग) के अधीन है। उक्त स्थल का संज्ञान लेने हेतु पुरातत्व निदेशालय (कला संस्कृति एवं युवा विभाग) को पर्यटन विभागीय पत्रांक–1066 दिनांक 03.06.2024 द्वारा प्रेषित किया गया है। विदित हो कि वर्णित स्थल के संबंध में जिला पदाधिकारी, सिवान द्वारा अपने पत्रांक–06 दिनांक 06.03.2023 द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि मौजा–तितरा बंगरा में स्थित बुद्ध स्तूप की कुल भूमि 05–08–02 (5 बीघा 8 कट्ठा 2 धुर) है। स्थानीय लोगों के द्वारा तितरा बंगरा बुद्ध स्तूप के संरक्षण हेतु सिवान तितरा स्तूप विकास मिशन, बुद्ध नगर तितरा टोला बंगरा की स्थापना की गयी है। अतः अनुरोध है कि इस कंडिका को

		विलोपित करने की कृपा की जाय।
4	सिवान जिला में डॉ० राजेन्द्र प्रसाद के पैतृक स्थल को पर्यटन स्थल कैटेगरी A में शामिल करने तथा इसके जमीन की पैमाइश कराने के संबंध में।	पर्यटन विभाग द्वारा वित्तीय वर्ष 2022–23 में सिवान जिलान्तर्गत जिरादेई में स्वागत द्वार का निर्माण हेतु राशि 181.00 लाख रूपये की योजना स्वीकृत किया गया है। इस योजना के अन्तर्गत जिरादेई में स्वागत द्वार का निर्माण, स्थलीय विकास एवं इलुमिनेशन आदि कार्य किया जाना है। योजना के कार्यकारी एजेंसी बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम है। योजना का कार्य प्रगति पर है। पर्यटन विभागीय पत्रांक 1735 दिनांक–28.08.2024 द्वारा बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम से अद्यतन प्रतिवेदन की मांग की गयी है।
	सिवान जिलान्तर्गत महेन्द्र नाथ धाम में 3 सौ एकड़ का जो तालाब है, उसमें बोट की व्यवस्था शुरू करने, लाईट, शौचालय की व्यवस्था तथा सौन्दर्यीकरण कराने के संबंध में।	पर्यटन विभागीय पत्रांक–1731 दिनांक–28.08.2024 द्वारा जिला पदाधिकारी, सिवान एवं पर्यटन विभागीय पत्रांक–1736 दिनांक 28.08.2024 द्वारा बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम से संबंधित स्थल के संबंध में अद्यतन प्रतिवेदन की मांग की गयी है।
6	औरंगाबाद जिलान्तर्गत भगवान बुद्ध मंदिर, मनौरा में जो प्रतिमा है उसकी ASI से जाँच के संबंध में।	पर्यटन विभागीय पत्रांक–1727 दिनांक–28.08.2024 द्वारा भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग को उक्त स्थल पर अवस्थित प्रतिमा की जाँच करवा कर प्रतिवेदन उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया है।
7	जहानाबाद जिला के बेजन मंदिर की जमीन की पैमाइश कराने तथा इस मंदिर को पर्यटक स्थल का दर्जा दिलाने के संबंध में प्रतिवेदन।	पर्यटन विभागीय पत्रांक–1724 दिनांक 28.08.2024 द्वारा जिला पदाधिकारी, जहानाबाद से उक्त स्थल के संबंध में अद्यतन प्रतिवेदन की मांग की गयी है।
8	अरवल जिला के कस्बा में शहीद हुए स्वर्गीय जीवधर बाबू के नाम पर पार्क बनाने के संबंध में।	पर्यटन विभागीय पत्रांक–1725 दिनांक 28.08.2024 द्वारा जिला पदाधिकारी, अरवल से उक्त स्थल के संबंध में अद्यतन प्रतिवेदन की मांग की गयी है।
9	अरवल जिला के जनकपुर धाम और मखदूम शाह के मजार को कैटेगेरी 'B' में शामिल करने के संबंध में।	जिला पदाधिकारी, अरवल से प्राप्त प्रतिवेदन में इन स्थलों पर आने वाले लोगों की संख्या काफी कम है। इस प्रकार स्पष्ट होता है कि इस स्थल पर व्यापक पर्यटकीय रूचि उद्भूत नहीं हुई है। अतः अनुरोध है कि इस कंडिका को विलोपित करने की कृपा की जाय।
10	गया जिलान्तर्गत बैजूधाम को पर्यटन स्थल का दर्जा देने के संबंध में।	पर्यटन विभाग द्वारा वित्तीय वर्ष 2014–15 में गया जिला के बैजू धाम शिव मंदिर में पर्यटकीय सुविधाओं का विकास हेतु राशि 335.38 लाख रूपये की लागत से पब्लिक कन्वेंशन, यात्री शेड, विवाह मंडप, हवन मंडप, साईट का विकास, पार्किंग, सिगनेज, सोलर लाईट, कैम्पस रिनोवेशन कार्य, चहारदिवारी, सॉप, गेटवे इत्यादि कार्य पूर्ण

		किया गया है। इस योजना का कार्यकारी एजेंसी बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम है। विदित हो कि पर्यटन विभाग द्वारा किसी स्थल विशेष को पर्यटन स्थल का दर्जा देने का विधान नहीं है।
11	गया जिलान्तर्गत भूरहा एवं मुनेरी का सौन्दर्यीकरण कराने तथा स्ट्रीट लाईट लगवाने के संबंध में।	पर्यटन विभाग द्वारा वित्तीय वर्ष 2014–15 में भुरहा, गया में पर्यटकीय अवसंरचनाओं का विकास हेतु राशि 99.53 लाख रूपये की लागत से पब्लिक कन्वेंशन, मंडप, यात्री शेड, पार्किंग कार्य, साईट डेभलपमेंट इत्यादि कार्य पूर्ण किया गया है। योजना का कार्यकारी एजेंसी बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम है। पर्यटन विभागीय पत्रांक–1729 दिनांक 28.08.2024 द्वारा जिला पदाधिकारी, गया से मुनेरी के संबंध में अद्यतन प्रतिवेदन की मांग की गई है।

बिहार विधान सभा की पर्यटन उद्योग संबंधी समिति की बैठक से उद्भूत सभा सचि
पत्रांक–463 दिनांक 09.09.2024 द्वारा प्राप्त प्रश्नावली का अनुपालन प्रतिवे

क्र०.	प्रश्नावली	उत्तर सामग्री
1	वैशाली जिलान्तर्गत होटल आम्रपाली के जीर्णोद्धार में कितनी राशि किन–किन योजनाओं में खर्च की गई है, योजनावार अद्यतन प्रतिवेदन।	पर्यटन विभाग द्वारा वित्तीय वर्ष 2010–11 में होटल आम्रपाली विहार, युथ हॉस्टल एवं कैफेटेरिया, वैशाली के जीर्णोद्धार हेतु राशि 107.45 लाख रूपये की योजना स्वीकृत किया गया था। इस योजना के अन्तर्गत हॉस्टल का रिनोवेशन, कैफेटेरिया, चहारदिवारी, लैण्ड स्केपिंग, पाथवे, पार्किंग, पी.एच.ई वर्क, इलक्ट्रीकल वर्क इत्यादि कार्य कराये गये हैं। योजना का कार्यकारी एजेंसी बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम है। योजना पूर्ण है।
2	वैशाली जिलान्तर्गत विश्व शांति स्तूप में पर्यटकीय विकास में कराए गये कार्यों की योजनावार अद्यतन प्रतिवेदन।	पर्यटन विभाग द्वारा वित्तीय वर्ष 2011–12 में विश्व शान्ति स्तूप, वैशाली का विकास एवं सौन्दर्यीकरण हेतु राशि 243.90 लाख रूपये की योजना स्वीकृत किया गया है। इस योजना के अन्तर्गत चहारदिवारी, गेट साईट का विकास, पार्किंग, पाथवे, कैम्पस लाईटिंग, लैण्डस्केपिंग, बागवानी कार्य, फाउण्डेशन कार्य इत्यादि कराये गये है। योजना का कार्यकारी एजेंसी बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम है। योजना पूर्ण है।
3	वैशाली जिला स्वदेश दर्शन 1.0 के तहत जैन सर्किट के तहत कराये गये कार्यो का योजनावार अद्यतन प्रतिवेदन।	प्रधानमंत्री विशेष पैकेज के स्वदेश दर्शन योजना के अन्तर्गत राज्य में जैन परिपथ के विकास हेतु 5236.95 लाख (पुनरीक्षित प्रशासनिक स्वीकृति–3396.56 लाख रूपये) की स्वीकृति प्रदान की गई है। उक्त योजना के अन्तर्गत वैशाली मे मार्गीय सुविधा का विकास (स्वीकृत राशि– 683.56 लाख रूपये) एवं साउण्ड एण्ड लाईट शो (स्वीकृत राशि– 407.23 लाख रूपये) का अधिष्ठापन आदि का कार्य किया गया है। उक्त योजना का कार्यकारी एजेन्सी बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम है। योजना पूर्ण है। माननीय प्रधानमंत्री महोदय के कर कमलों द्वारा दिनांक 07.03.2024 को उक्त योजना का लोकार्पण किया गया है।
4	खगड़िया जिला के कात्यायनी देवी मंदिर का डी.पी.आर. उपलब्ध कराने के संबंध में प्रतिवेदन।	पर्यटन विभाग द्वारा वित्तीय वर्ष 2024–25 में खगड़िया जिलान्तर्गत माँ कात्यायनी स्थान मंदिर में पर्यटकीय विकास हेतु राशि 819.23 लाख रूपये की योजना स्वीकृत किया गया है। इस योजना के अन्तर्गत डोरमेट्री, भोजनालय, गजिबों, शौचालय, गेट एण्ड मंदिर का विकास, इक्सटर्नल विकास आदि कार्य कार्य प्रस्तावित है। योजना का कार्यकारी एजेंसी बिहार राज्य पर्यटन विकास

		निगम है। निविदा की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है। बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम से विभागीय पत्रांक 1846 दिनांक–11.09.2024 द्वारा डी.पी.आर. की प्रति मांग की गयी है।
5	खगड़िया जिला के परबत्ता में स्थित स्वर्ण दूर्गा मंदिर, बैरम सिंह महल एवं आगवानी घाट के निर्माण कराने के संबंध में प्रतिवेदन।	जिला पदाधिकारी, खगड़िया का पत्रांक 86 दिनांक–16.12.2022 द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि उक्त स्थल की भूमि, मंदिर को केवाला द्वारा प्राप्त है। जिसपर दूर्गा मंदिर बना हुआ है, वह भूमि रैयती है। रैयती (निजी) भूमि पर पर्यटकीय विकास नहीं किया जा सकता है। वर्तमान में बैरम सिंह महल एवं अगुवानी घाट संबंधी योजना स्वीकृत नहीं है। जिला पदाधिकारी, खगड़िया से विभागीय पत्रांक–1845 दिनांक 11.09.2024 द्वारा बैरम सिंह महल एवं अगुवानी घाट के संबंध में अद्यतन प्रतिवेदन की मांग की गयी है।
6	अरवल जिला के मधुश्रवा में कराये जा रहे कार्य को शीघ्र पूर्ण कराने के संबंध में प्रतिवेदन।	पर्यटन विभाग द्वारा वित्तीय वर्ष 2023–24 में अरवल जिलान्तर्गत कलेर प्रखंड के मधेश्वरनाथ महादेव मंदिर (मधुश्रवा) का विकास हेतु राशि 229.41 लाख रूपये की योजना स्वीकृत किया गया है। इस योजना के अन्तर्गत तालाब के चारो ओर पेवर पाथवे का निर्माण, तालाब में सोलर इरिगेशन सिस्टम का निर्माण, सोलर लाईट, सिटिंग बेंच, मंदिर एवं तालाब के बीच एस.एस. रेलिंग, हाई मास्ट लाईट, पार्किंग, मौजुदा शौचालय एवं समुदायिक भवन (G+1) का जीर्णोद्धार, थिमेटिक गेट इत्यादि कार्य किया जाना है। योजना का कार्यकारी एजेंसी बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम है। बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम से विभागीय पत्रांक 1846 दिनांक–11.09.2024 द्वारा योजना के संबंध में अद्यतन प्रतिवेदन की मांग की गयी है।
7	गया जिला के बैजू धाम में प्रवेश द्वार के तरह निकास द्वार, अतिथि गृह, धर्मशाला, सड़क एवं पार्क बनाने के संबंध में प्रतिवेदन।	पर्यटन विभाग द्वारा वित्तीय वर्ष 2014–15 में गया जिला के बैजू धाम शिव मंदिर में पर्यटकीय सुविधाओं का विकास हेतु राशि 335.38 लाख रूपये की लागत से पब्लिक कन्वेंशन, यात्री शेड, विवाह मंडप, हवन मंडप, साईट का विकास, पार्किंग, Singnage, सोलर लाईट, कैम्पस रिनोवेशन कार्य, चहारदिवारी, दुंकाने, गेटवे इत्यादि कार्य पूर्ण किया गया है। इस योजना का कार्यकारी एजेंसी बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम है।
8	गया जिला के भूरहा में शमशान स्थल पर स्ट्रीट लाईट कराने के संबंध में प्रतिवेदन।	पर्यटन विभाग द्वारा वित्तीय वर्ष 2014–15 में भूरहा, गया में पर्यटकीय अवसंरचनाओं का

		विकास हेतु राशि 99.53 लाख रूपये की लागत से पब्लिक कन्वेंशन, मंडप, यात्री शेड, पार्किंग कार्य, साईट डेभलपमेंट इत्यादि कार्य पूर्ण किया गया है। योजना का कार्यकारी एजेंसी बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम है। पर्यटन विभाग द्वारा सामान्यतः शमशान स्थल से संबंधित कार्य नहीं किया जाता है।
9	वैशाली जिला के लालगंज में स्थित पोखर के जीर्णोद्वार, गुरूद्वारा में कराये जा रहे कार्यों की गुणवत्ता की जांच एवं सराय से लालगंज को जोड़ने वाली बुद्ध मार्ग सड़क के निर्माण कराये जाने के संबंध में प्रतिवेदन।	पर्यटन विभाग द्वारा वित्तीय वर्ष 2023–24 में वैशाली जिलान्तर्गत नानक साहिब गुरूद्वारा, लालगंज, वैशाली में पर्यटकीय विकास हेतु राशि 99.71 लाख रूपये की योजना स्वीकृत की गयी है। इस योजना के अन्तर्गत गेट, यात्री निवास एवं मार्बल फ्लोरिंग इत्यादि निर्माण कार्य किया जा रहा है। योजना का कार्यकारी एजेंसी बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम है। बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम से विभागीय पत्रांक 1846 दिनांक–11.09.2024 द्वारा योजना के संबंध में अद्यतन प्रतिवेदन की मांग की गयी है। पर्यटन विभागीय पत्रांक–1844 दिनांक–11.09.2024 द्वारा उक्त स्थल के संबंध में अद्यतन प्रतिवेदन की मांग जिला पदाधिकारी, वैशाली से की गयी है।
10	औरंगाबाद जिलान्तर्गत भगवान बुद्ध मंदिर, मनौरा के विकास करने के संबंध में प्रतिवेदन उपलब्ध करावें।	पर्यटन विभागीय पत्रांक–1837 दिनांक–11.09.2024 के द्वारा उक्त स्थल के संबंध में अद्यतन प्रतिवेदन की मांग विहित प्रपत्र में जिला पदाधिकारी, औरंगाबाद से की गयी है।
11	सिवान जिला में डॉ० राजेन्द्र प्रसाद के पैतृक स्थल को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने तथा इसके जमीन की पैमाइश कराने संबंधी अद्यतन प्रतिवेदन।	पर्यटन विभाग द्वारा वित्तीय वर्ष 2022–23 में सिवान जिलान्तर्गत जिरादेई में मुख्य सड़क पर स्वागत द्वार का निर्माण हेतु राशि 181.00 लाख रूपये की योजना स्वीकृत किया गया है। इस योजना के अन्तर्गत स्वागत द्वार का निर्माण, स्थलीय विकास एवं इलुमिनेशन आदि कार्य किया जाना है। योजना के कार्यकारी एजेंसी बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम है। योजना का कार्य प्रगति पर है। डॉ० राजेन्द्र प्रसाद जी के पैतृक स्थल भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI) द्वारा संरक्षित क्षेत्र है।
12	बिहार राज्य में कौन–कौन पर्यटन स्थल में पर्यटन विभाग एवं ASI के द्वारा पर्यटक स्थल के विकास से संबंधित कार्य कराये जाते है, उसकी विस्तृत सूची पर प्रतिवेदन।	पर्यटन विभाग के द्वारा पर्यटकीय संभावनाओं से संबंधित स्थलों के विकास की प्राथमिकता दी जाती है। पर्यटन एक नए उद्योग के रूप में प्रतिष्ठित होने वाली गतिविधि है। इसमें स्थानीय लोगों के आर्थिक उन्नति का भाव निहित रहता है। इसी दृष्टिकोण से अन्तर्गगामी पर्यटन (Inbound Tourism) को देखते हुए स्थलों के

		विकास पर निर्णय आधारित होता है। वर्तमान में पर्यटन विभाग द्वारा 85 चिन्हित महत्वपूर्ण स्थलों का अन्तर्राष्ट्रीय एवं राष्ट्रीय स्तर पर प्रचार–प्रसार किया जाता है।
13	सिवान जिलान्तर्गत तितरा, बंगरा स्तूप के जमीन पर पैमाइस करवाकर उसका विकास करने के संबंध में प्रतिवेदन।	जिला पदाधिकारी, सिवान ने अपने पत्रांक–06 दिनांक 06.03.2023 द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि मौजा–तितरा बंगरा में स्थित बुद्ध स्तूप की कुल भूमि 05–08–02 (5 बीघा 8 कट्ठा 2 धूर) है। स्थानीय लोगों के द्वारा तितरा बंगरा बुद्ध स्तूप के संरक्षण हेतु सिवान तितरा स्तूप विकास मिशन, बुद्ध नगर तितरा टोला बंगरा की स्थापना की गयी है। कृपया इस कंडिका को विलोपित करने की कृपा की जाय।

बिहार प्राचीन स्मारक और पुरातत्व स्थल अवशेष तथा कलानिधि अधिनियम, 1976 के अन्तर्गत, बिहार सरकार द्वारा सुरक्षित घोषित स्मारकों की सूची:–

क्र	स्मारक का नाम	जिला का नाम	अधिसूचना स./दिनांक
1	गोलघर	पटना	1710 / 08-12-1976
2	अगम कुँआ, गुलजारबाग, पटना सिटी	पटना	1710 / 08-12-1976
3	बेगू हज्जाम की मस्जिद, गुलजारबाग, पटना सिटी	पटना	1710 / 08-12-1976
4	जैन मंदिर, कमलदह, गुलजारबाग, पटना सिटी	पटना	1710 / 08-12-1976
5	दो रूखी प्रतिमा, कंकड़बाग, पटना	पटना	1710 / 08-12-1976
6	छोटी पटन देवी, पटना सिटी	पटना	1710 / 08-12-1976
7	अलावल खाँ का मकबरा सासाराम	सासाराम, रोहतास	250 / 11-03-1981
8	सूर्य मंदिर, कन्दाहा, मौजा मडवार	सहरसा	1367 / 07-08-1982
9	कटरा गढ़	मुजफ्फरपुर	1367 / 07-08-1982
10	नेपाली मंदिर, हाजीपुर	वैशाली	703 / 02-07-1981
11	खेरी पुरातत्व स्थल, शाहकुण्ड	भागलपुर	711 / 02-07-1981
12	महमुदशाह का मकबरा, कहलगाँव	भागलपुर	711 / 02-07-1981
13	जलालगढ़ किला कसबा	पूर्णिया	1399 / 16-08-1982
14	आरा हाउस, महाराजा कॉलेज हाता	आरा	1652 / 12-11-1982
15	चौसागढ़	बक्सर	1652 / 12-11-1982
16	दाउद खाँ का किला, दाउदनगर, औरंगाबाद	औरंगाबाद	1021 / 02-01-06-1983
17	रामशिला पर्वत, गया	गया	55 / 21-02-2007
18	प्रेतशिला पर्वत, चमड़ी, चिरैयारोड, बहादुर बिगहा	गया	55 / 21-02-2007
19	विष्णुपद मंदिर, गया	गया	55 / 21-02-2007
20	ब्रह्मयोनी पहाड़, गया	गया	55 / 21-02-2007
21	हजारीमल धर्मशाला, बेतिया	प० चम्पारण	342 / 11-11-1996
22	गीरा बिगहा	जहानाबाद	95 / 24-07-1998
23	बाबू वीर कुँवर सिंह जन्म स्थल	भोजपुर	278 / 25-07-2000
24	जामा मस्जिद, पत्थर की मस्जिद, हाजीपुर	वैशाली	241 / 06-07-2002
25	मसही कैमूर	कैमूर	262 / 15-09-1998
26	मुंगेर किला	मुंगेर	22 / 13-01-2001
27	चिरान्द	सारण	
28	ताराडीह, बोधगया, गया	गया	47 / 22-2-2006
29	निशान सिंह शहीद स्मारक स्थल एवं कब्रिस्तान, सासाराम	रोहतास	429 / 08-11-2006
30	अपसढ़ गढ़, वराह मंदिर एवं अपसढ़ ग्राम स्थित प्राचीन तालाब	नवादा	69 / 16-03-2011
31	पार्वती पहाड़ी	नवादा	68 / 16-03-2011
32	जार्ज ऑरवेल की जन्म स्थली	मोतिहारी	335 / 10-12-2010
33	टेकारी किला (नौ आना)	गया	42 / 23-02-2011
34	अहिल्या स्थान	दरभंगा	12 / 07-01-2014

35	तेल्हाड़ा	नालन्दा	01 / 17-01-2014
36	सोफा मंदिर	पश्चिम चम्पारण	02 / 12-02-2014
37	मॉरिशन बिल्डींग	पटना	274 / 01-09-2014
38	लॉर्ड मिन्टो टॉवर	जमुई	30 / 06-11-2014
39	हरेश्वरनाथ मंदिर, द्वालख	मधुबनी	50 / 02-03-2015
40	राजा भोज का किला / नवरतन गढ़, नया भोजपुर, डुमरॉव	बक्सर	231 / 03-08-2016
41	बड़ीगढ़ वेशवक एवं छोटीगढ़ वेशवक	नालन्दा	166 / 26-04-2014
42	लारी	अरवल	360 / 8.9.2017
43	कोटेश्वर नाथ मंदिर / स्थल (पास के विशाल पीपल वृक्ष सहित)	गया	309 / 2.8.2017
44	लाली पहाड़ी (जयनगर)	लखीसराय	199 / 02.07.2018
45	सतसंडा पहाड़	लखीसराय	199 / 02.07.2018 364 / 27.08.2019
46	घोषीकुंडी पहाड़	लखीसराय	199 / 02.07.2018
47	बिछवे पहाड़	लखीसराय	199 / 02.07.2018
48	लय	लखीसराय	199 / 02.07.2018
49	कमर अली सुल्तान दरगार	गया	11 / 12.06.2020
50	दुल्हिन मंदिर	गया	11 / 12.06.2020
51	शिव मंदिर, डुमरिया	गोपालगंज	20 / 27.08.2020
52	नोनगढ़	लखीसराय	190 / 12.04.2021
53	भदरिया में चांदन नदी के किनारे प्राप्त हुए पुरातात्विक स्थल / अवशेष	बांका	257 / 12.08.2021
54	गुआरी डीह वरियारपुर (गुआरी)	भागलपुर	258 / 12.08.2021

बिहार विधान सभा की पर्यटन उद्योग संबंधी समिति की दिनांक-16.12.2024 से 17.12.2024 तक राज्य के अंदर किशनगंज जिला अन्तर्गत स्थल अध्ययन यात्रा की प्रश्नावली

क्र०	प्रश्न	उत्तर	अभ्युक्ति
1	2	3	4
1.	चालू वित्तीय वर्ष सहित विगत तीन वर्षों के आय-व्यय में विभाग को विभिन्न योजनाओं के लिए क्या उपबंध था, पुनरीक्षित उपबंध कितना हुआ तथा वास्तविक व्यय कितना हुआ।	प्रति इस पत्र के साथ संलग्न है।	
2.	पूर्ववर्ती तीन वर्षों के दौरान चालू प्राक्कलन के हरेक शीर्ष एवं उप शीर्ष के अधीन आवंटित राशि क्या थी और वास्तविक व्यय क्या हुआ।	---	
3.	आय-व्यय के मुख्य शीर्ष एवं लघु शीर्ष में कितनी राशि का वर्षवार विचलन एवं कितना प्रत्यार्पण (सरेंडर) किया गया और इनका औचित्य क्या था?	---	
4.	विभाग में विगत तीन वर्षो से कितनी योजनाएं एवं परियोजनाएं किस उद्देश्य से शुरू की गयी, कब समाप्त करना था, कब पूर्ण हुई तथा उक्त योजनाओं में से कितनी योजनाएं पुनरीक्षित की गयी, उसके कारण क्या थे, योजनावार कुल वास्तविक व्यय क्या हुआ ?	---	
5.	विगत तीन वर्षों में आवंटित राशि कब-कब विमुक्त की गयी तथा कब उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्राप्त किया गया?	---	
6.	विगत तीन वित्तीय वर्षों में विभाग को कितनी आय हुई और किस-किस मद में कोषागार में जमा किए गए?	---	
7.	विगत तीन वर्षो में केन्द्र सरकार से कितनी राशि वर्षवार अनुदान के रूप में प्राप्त हुई और इसके तहत् कितनी योजनाएं ली गयी तथा उनकी अद्यतन स्थिति क्या है ?	---	
8.	केन्द्रीय वार्षिक योजनाओं के लिए कितनी राशि मिली, कितनी राशि व्यय की गयी, विगत तीन वर्षो का वर्षवार विवरण दिया जाय?	---	
9.	विगत तीन वर्षो में केन्द्र सरकार की संयुक्त योजनाओं में केन्द्र सरकार से कब और कितनी राशि मिली एवं राज्य सरकार के द्वारा कब और कितना मैचिंग ग्रांट दिया गया तथा अद्यतन स्थिति क्या है?	---	
10.	विभाग द्वारा अगर किसी शीर्ष में स्थायी रूप से किसी इकाई पर प्रत्येक वर्ष अनुरक्षण कार्य पर खर्च किया जाता है तो उन इकाईयों का नाम एवं व्यय की जाने वाली राशि का ईकाईवार ब्यौरा प्रस्तुत किया जाय?	---	
11.	पर्यटन उद्योग का जीर्णोद्धार एवं सौंदर्यीकरण हेतु विभाग द्वारा योजना/गैर-योजना मद में विमुक्त राशियों के व्यय पर निगरानी हेतु की गयी स्थायी व्यवस्था की विवरणी दें?	---	

जिला कला एवं संस्कृति पदाधिकारी,
किशनगंज।

किशनगंज जिला अन्तर्गत भेजे गए कुल 08 पर्यटन स्थलों की सूची

क्र०	जिला का नाम	जुलाई, 2024 के प्रथम सप्ताह में 20–सूत्री के बैठक के आयोजन की तिथि	बैठक में चिन्हित 5–6 महत्वपूर्ण प्राथमिकताओं की सूची	चिन्हित प्राथमिकताओं को पूर्ण करने की तिथि	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
01	किशनगंज	—	लोक सभा सदस्य, विधान परिषद सदस्य एवं विधान सभा सदस्य से प्राप्त अनुशंसा के आलोक में किशनगंज जिला अन्तर्गत पर्यटन प्रक्षेत्र में असीम संभावनाओं के क्रियान्वयन हेतु प्राथमिकता अनुसार पर्यटन स्थलों की C श्रेणी के कुल 08 (आठ) स्थलों को चिन्हित किया गया है :– 1. औदा घाट, काली मंदिर। 2. खगड़ा मेला, किशनगंज। 3. कदमरसूल मजार, किशनगंज। 4. ठाकुरगंज स्थित भीम तकिया। 5. शिव मंदिर ठाकुरगंज। 6. बेणुगढ़ कीला, टेढ़ागाछ। 7. डेरामारी बड़ीजान सूर्यमंदिर। 8. पीर स्थान, कोचाधामन।	पर्यटन स्थल के स्वीकृति के उपरांत पर्यटन स्थल के विकास हेतु अग्रेत्तर कार्रवाई की जायेगी।	इस कार्यालय के पत्रांक–1157/जि.सा., दिनांक–05.12.2022 से कुल 08 प्रस्ताव एवं पत्रांक–106/जि.सा., दिनांक–13.01.2023 से सरकार के अपर सचिव, पर्यटन विभाग, बिहार, पटना को प्राथमिकता अनुसार पर्यटन स्थल की सूची भेजा गया है।

ह०/-
वरीय उप समाहर्त्ता,
जिला सामान्य प्रशाखा,
किशनगंज।

ज्ञापांक 1545 /जि.सा., दिनांक– 16.12 /2024

प्रतिलिपि : जिला शिक्षा पदाधिकारी, किशनगंज को जिला पदाधिकारी, किशनगंज के ज्ञापांक–3437/जि.गो., दिनांक– 12.12.2024 के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

वरीय उप समाहर्त्ता,
जिला सामान्य प्रशाखा,
किशनगंज।

स मा ह र णा ल य, कि श न गं ज

(जिला कला एवं संस्कृति शाखा)

वित्तीय वर्ष 2024–25 जिला स्थापना दिवस हेतु प्राप्त आवंटन का विवरण।

क्र0	विपत्र कोड	मद का नाम	प्राप्त आवंटन	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
1.	08-2205001020101	जिला स्थापना दिवस	5,00,000.00	राशि जिला नजारत उप समाहर्ता, किशनगंज को उपावंटित कर दी गयी है।
2.	08-2205001020101	बिहार दिवस	3,00,000.00	राशि जिला नजारत उप समाहर्ता, किशनगंज को उपावंटित कर दी गयी है।
3.	08-2205001020101	अर्न्तराष्ट्रीय महिला दिवस	1,00,000.00	राशि जिला नजारत उप समाहर्ता, किशनगंज को उपावंटित कर दी गयी है।
4.	08-2205001020101	खगड़ा मेला महोत्सव	2,00,000.00	संचिका उपस्थापित।
5.	08-2205001020101	मकर संक्रान्ति महोत्सव	2,00,000.00	संचिका उपस्थापित।
6.	08-2205001020101	वसंत पंचमी महोत्सव	2,00,000.00	संचिका उपस्थापित।

वित्तीय वर्ष 2023–24 में मुख्य शीर्ष 2205, कला संस्कृति, विपत्र कोड–08-2205001020101 अन्तर्गत विभिन्न मदों में प्राप्त आवंटन का विवरण।

क्र0	मद का नाम	प्राप्त आवंटन	व्यय की गई राशि	अवशेष राशि	प्रत्यार्पित राशि	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7
1.	2002–सेमिनार कार्यशाला (युवा उत्सव)	3,00,000.00	2,99,864.00	136.00	136.00	
2.	2002–सेमिनार, कार्यशाला (जिला स्थापना दिवस)	9,98,196.00	9,98,196.00	0.00	0.00	
3.	2002–सेमिनार, कार्यशाला (अर्न्तराष्ट्रीय महिला दिवस)	1,00,000.00	90,650.00	9,350.00	9,350.00	
4.	2002–सेमिनार कार्यशाला (बिहार दिवस)	3,00,000.00	2,99,670.00	330.00	330.00	
5.	2002–सेमिनार, कार्यशाला (खगड़ा मेला महोत्सव)	2,00,000.00	2,00,000.00	0.00	0.00	
6.	2002– सेमिनार, कार्यशाला (जन नायक कर्पूरी ठाकुर के जन्म शताब्दी समारोह)	1,00,000.00	00	1,00,000.00	1,00,000.00	
	कुल :–	19,98,196.00	18,88,380.00	1,09,816.00	1,09,816.00	

वित्तीय वर्ष–2022–23 में मुख्य शीर्ष 2205, कला संस्कृति, विपत्र कोड–08–2205001020101 अन्तर्गत विभिन्न मदों में प्राप्त आवंटन कर विवरण।

क्र0	मद का नाम	प्राप्त आवंटन	व्यय की गई राशि	अवशेष राशि	प्रत्यार्पित राशि	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7
1.	2002–सेमिनार, कार्यशाला (युवा उत्सव)	1,00,000.00	99,926.00	74.00	74.00	
2.	2002–सेमिनार, कार्यशाला (जिला स्थापना दिवस)	6,00,000.00	5,44,784.00	55,216.00	55,216.00	
3.	2002–सेमिनार, कार्यशाला (बिहार दिवस)	3,00,000.00	3,00,000.00	00	00	
4.	2002–सेमिनार, कार्यशाला (विशेष महोत्सव)	4,50,000.00	1,77,000.00	2,73,000.00	2,73,000.00	
5.	विशेष प्रतिभा खोज	2,00,000.00	00	2,00,000.00	2,00,000.00	
	कुल :–	16,50,000.00	11,21,710.00	5,28.290.00	5,28,290.00	

वित्तीय वर्ष–2021–22 में मुख्य शीर्ष 2205, कला संस्कृति, विपत्र कोड–08–2205001020101 अन्तर्गत विभिन्न मदों में प्राप्त आवंटन कर विवरण।

क्र0	मद का नाम	प्राप्त आवंटन	व्यय की गई राशि	अवशेष राशि	प्रत्यार्पित राशि	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7
1.	2002–सेमिनार, कार्यशाला (युवा उत्सव)	1,00,000.00	70,000.00	30,000.00	30,000.00	
2.	2002–सेमिनार, कार्यशाला (जिला स्थापना दिवस)	3,00,000.00	20,000.00	2,80,000.00	2,80,000.00	
3.	2002–सेमिनार, कार्यशाला (अर्न्तराष्ट्रीय महिला दिवस)	1,00,000.00	87,976.00	12,024.00	12,024.00	
4.	2002–सेमिनार, कार्यशाला (बिहार दिवस)	3,00,000.00	1,67,953.00	1,32,047.00	1,32,047.00	
5.	2002–सेमिनार, कार्यशाला (विशेष महोत्सव)	4,50,000.00	--	4,50,000.00	4,50,000.00	
	कुल :–	12,50,000.00	03,45,929.00	9,04,071.00	9,04,071.00	

जिला कला एवं संस्कृति कार्यालय से संबंधित कार्य योजना का प्रतिवेदन

क्र0	विषय	की गई कार्रवाई
1.	आम्रपाली प्रशिक्षण केन्द्र	किराया का मकान चिन्हित कर लिया गया है तथा दर का निर्धारण करते हुए एकरारनामा कर विभाग को संसूचित किया गया है।
2.	जिला स्तरीय युवा उत्सव	दिनांक–25.09.2024 एवं 26.09.2024 को आयोजित।
3.	थिमेटिक प्रतियोगिता	दिनांक–07.10.2024 को आयोजित।
4.	चाक्षुष व प्रदर्श कला	चाक्षुष व प्रदर्श कला के कलाकारों का डाटाबेस तैयार करने हेतु आवेदन आमंत्रित करने के लिए इस कार्यालय के पत्रांक–1151/जि.सां., दिनांक–05.10.2024 द्वारा निदेशक सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, बिहार, पटना को विज्ञापन प्रकाशन करने हेतु पत्र भेजा गया है।
5.	उर्वशी नाटक का मंचन	दिनांक–14.10.2024 को उर्वशी नाटक का मंचन किया गया।

जिला कला एवं संस्कृति पदाधिकारी,
किशनगंज।

समाहरणालय, अररिया

(जिला कला एवं संस्कृति कार्यालय)

✉ Email ID.
dacoararia@gmail.com
Mob no- 8434553767

उप सचिव, बिहार विधानसभा, पटना के ज्ञापांक 644/वि०स० दिनांक 12.12.2024 के आलोक में बिहार विधान सभा के समक्ष अररिया जिलान्तर्गत कला एवं संस्कृति से संबंधित प्रतिवेदन निम्नवत है :-

क्र०	विषय	अनुपालन की स्थिति
01	आम्रपाली प्रशिक्षण केन्द्र	जिला में आम्रपाली प्रशिक्षण केन्द्र संचालन हेतु कार्यालय मद में आवंटन एवं कार्यालय कर्मी तथा प्रशिक्षक का पदस्थापन/प्रतिनियुक्ति कराने के संबंध में इस कार्यालय के पत्रांक 33 दिनांक 11.11.2024 द्वारा विभाग को प्रेषित।
02	राज्य स्तरीय युवा उत्सव, 2024-25	राज्य स्तरीय युवा उत्सव हेतु चयनित कलाकारों की सूची एवं महिला/पुरुष दल के नेता का नाम एवं मोबाइल नंबर इस कार्यालय का पत्रांक 31 दिनांक 28.10.2024 एवं पत्रांक 34 दिनांक 22.11.2024 द्वारा विभाग एवं जिला पदाधिकारी, लखीसराय को भेजा जा चुका है।
03	विलुप्त कलाओं के खोज के संबंध में। विभागीय पत्रांक 1094 दिनांक 04.11.2024	इस कार्यालय का पत्रांक 37 दिनांक 27.11.2024
04	आम्रपाली प्रशिक्षण केन्द्र के शिक्षक चिन्हित करने के संबंध में।	इस कार्यालय का पत्रांक 38 दिनांक 28.11.2024 द्वारा विज्ञापन प्रेषित।

कृपया स्वीकार की जाय।

(हस्ताक्षर) 18.12.24

जिला कला एवं संस्कृति पदाधिकारी,
अररिया।

समाहरणालय, अररिया
(कार्यालय कला एवं संस्कृति)

उप सचिव, बिहार विधानसभा, पटना के ज्ञापांक 644/वि०स० दिनांक 12.12.2024 के आलोक में बिहार विधान सभा की पर्यटन उद्योग समिति के समक्ष अररिया जिलान्तर्गत पर्यटन से संबंधित प्रतिवेदन निम्नवत है :-

1	मेरा प्रखंड मेरा गौरव प्रतियोगिता	मेरा प्रखंड मेरा गौरव प्रतियोगिता के अन्तर्गत जिला पदाधिकारी, अररिया के ज्ञापांक 41/जि०क०स०, दिनांक 13.09.2024 द्वारा प्राप्त आवेदन की जाँच के लिए कमिटी गठित की गई है।	
2	सुन्दर नाथ धाम पर्यटन स्थल पर विकास कार्य संबंधी योजना	दिनांक 18.07.2024 को जिला कार्यक्रम कार्यान्वयन समिति की बैठक में माननीय प्रभारी मंत्री द्वारा पर्यटन का दृष्टिकोण से सुन्दर नाथ धाम का विकास करने का प्रस्ताव पारित किया गया।	विकास कार्य के लिए प्रतिवेदन तैयार की जा रही है।

कृपया प्राप्ति स्वीकार की जाय।

18/12/24

प्रभारी पर्यटन पदाधिकारी-सह-
जिला कला एवं संस्कृति पदाधिकारी,
अररिया

समाहरणालय, दरभंगा

(पर्यटन)

दरभंगा जिला अन्तर्गत पर्यटन स्थल निम्न है :–

क्र0 स0	स्थल का नाम	ऐतिहासिक महत्व	मुख्यालय से दूरी	सड़क की स्थिति
1	कुशेश्वर स्थान	यह एक प्राचीन मंदिर है। इसे बिहार का देवघर भी कहा जाता है। शिवरात्रि और श्रावण मेला में यहां लाखों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं, यहां मेला भी लगता है।	70 कि0मी0	पक्की सड़क
2	अहिल्या स्थान	अत्यंत प्राचीन मंदिर है। नेपाल, समस्त मिथिलांचल और ओडिशा, झारखण्ड के श्रद्धालु यहां पूजा अर्चना करने आते हैं। यह स्थल रामायण सर्किट के एक स्थल के रूप में चिन्हित है, जिसके कारण इसकी महत्ता और बढ़ जाती है।	30 कि0मी0	पक्की सड़क
3	आनन्द बाग पैलेस	दरभंगा एक ऐसा शहर है, जो कई पर्यटक स्थलों से भरा हुआ है और आनन्द बाग पैलेस उनमें से एक है। यह पसंदीदा पर्यटन स्थल शहर के प्रतिष्ठित स्मारक के रूप में विख्यात है।	08 कि0मी0	पक्की सड़क
4	गौतम आश्रम	अहिल्यास्थान से कुछ ही दूरी पर स्थित, राम कथा से जुड्रे होने के कारण इसका काफी महत्व है। दूर–दूर से पर्यटक भारी संख्या में इस स्थल का दर्शन करने आते हैं।	35 कि0मी0	पक्की सड़क
5	तिलकेश्वर महादेव मंदिर	यह मंदिर दुर्गम स्थल पर होने के बावजूद भारी संख्या में श्रद्धालु यहां दर्शन के लिए आते हैं। यह अत्यंत प्राचीन मंदिर है (203ई0 में बना), यहां कलाकृतियों से भरी हुई कई प्राचीन पत्थर उपलब्ध है। यह एक ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, धार्मिक स्थल है।	90 कि0मी0	कुशेश्वर स्थान तक पक्की सड़क एवं कुशेश्वर स्थान से कच्ची सड़क
6	श्यामा माई मंदिर	प्राचीन धार्मिक सांस्कृतिक धरोहर है। नवाह यज्ञ और नवरात्रि के अवसरों पर नेपाल से ओडिशा तक के लाखों श्रद्धालु आते हैं। मिथिलांचल का यह महत्वपूर्ण धार्मिक स्थल है।	07 कि0मी0	पक्की सड़क
7	बाढ़ पोखर	पारिस्थितिकी एवं पर्यावरणीय दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। स्थान को अगर स्थानीय व्यवसाय के लिए विकसित किया जाए, तो इस क्षेत्र के विकास में योगदान	23 कि0मी0	पक्की सड़क

		दे सकता है। यहां से मात्र 15 कि0मी0 की दूरी पर कपिलेश्वर महादेव का प्राचीन मंदिर है, श्यामा माई में जो दर्शक आते हैं, कपिलेश्वर भी आते है।। अतः दोनों स्थलों के बीच में पड़ने के कारण इसका महत्व जाता है।		
8	श्री श्री 108 दरवेश्वर–स्थान देवकुली	यह दरभंगा महाराज द्वारा निर्मित मंदिर है, यहां प्रतिदिन 400–500 लोग पूजा अर्चना करने आते हैं। शिवरात्रि को यहां भव्य मेला आयोजित होता है एवं 30–40 हजार श्रद्धालु एकत्रित होते हैं।	65 कि0मी0	पक्की सड़क
9	लोरिक धाम	यह स्थानीय और तथाकित वंचित लोगों का महत्वपूर्ण तीर्थस्थान है, जहां वर्ष में एकबार बीस हजार लोग पूजा अर्चना करने के लिए एकत्रित होते हैं।	33 कि0मी0	पक्की सड़क
10	सिमरदह महादेव	यह महादेव का एक प्रसिद्ध मंदिर है। यहां श्रवण माह में भारी संख्या में श्रद्धालु जलाभिषेक करने आते हैं।	35 कि0मी0	पक्की सड़क
11	हैहट देवी	यह एक प्राचीन दुर्गा मंदिर है। यहां जिले के सभी क्षेत्रों से प्रतिदिन भारी संख्या में श्रद्धालु पूजा अर्चना करने आते हैं।	40 कि0मी0	पक्की सड़क

दरभंगा जिला में राज्य सरकार द्वारा दो मेला/महोत्सव का आयोजन किया जाता है।

1	अहिल्या महोत्सव
2	मिथिला लोक उत्सव

पर्यटन विभाग द्वारा दरभंगा जिलान्तर्गत पर्यटन स्थल विकसित करने हेतु पत्र प्राप्त हुआ था। जिसके उपरांत पत्र पर कार्रवाई संबंधित पत्राचार इस प्रतिवेदन में संलग्न है।

ह0/-
वरीय उप समाहर्त्ता, (पर्यटन)
दरभंगा।

ज्ञापांक 425 दिनांक 17/12/24

प्रतिलिपि:– नोडल पदाधिकारी–सह–उप विकास आयुक्त, दरभंगा को दिनांक–19.12.2024 एवं 20.12.2024 को पर्यटन उद्योग संबंधित समिति की बैठक का दरभंगा जिला अंतर्गत पर्यटन विभाग से प्रतिवेदन भेजा जा रहा है। कृपया प्राप्ति स्वीकार की जाय।

17/12/24
वरीय उप समाहर्त्ता, (पर्यटन)
दरभंगा।

समाहरणालय, दरभंगा

(जिला विकास शाखा)
पत्रांक–...408.../जि०वि०

प्रेषक,

वरीय उप समाहर्त्ता (पर्यटन),
दरभंगा।

सेवा में,

अनुमंडल पदाधिकारी, सदर दरभंगा।
अंचलाधिकारी, जाले दरभंगा।

लहेरियासराय, दिनांक–...16...वीं दिसम्बर, 2024

विषय :– दरभंगा जिला अंतर्गत जाले एवं सिंहवाड़ा प्रखंड के विभिन्न पर्यटक स्थलों को पर्यटन रोड मैप में शामिल करने एवं चन्दौना गाँव स्थित चन्देश्वर महादेव मंदिर का सौन्दर्यीकरण करने के संबंध में।

प्रसंग :– पर्यटन विभाग का पत्रांक 2569 दिनांक 10.12.2024

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रसांगिक पत्र के संबंध में कहना है कि दरभंगा जिला अन्तर्गत जाले एवं सिंहवाड़ा प्रखंड के विभिन्न पर्यटक स्थलों को पर्यटन रोड मैप में शामिल करने एवं चन्दौना गाँव स्थित चन्देश्वर महादेव मंदिर का सौन्दर्यीकरण करने के लिए अनुशंसा की गयी है।

अतः अनुरोध है कि वर्णित पत्र के आलोक में भूमि के स्वामित्व के संबंध में अपने स्तर से जाँचकर पूर्ण विवरणी, नक्शा, अनापत्ति प्रमाण–पत्र एवं निर्माणोपरांत रख–रखाव व्यवस्था सहित पर्यटकीय संभावनाओं के संबंध में स्पष्ट मंतव्य के साथ विहित–प्रपत्र में प्रतिवेदन उपलब्ध कराने की कृपा की जाय, ताकि ससमय विभाग भेजा जा सकें।

अनु0–यथोक्त।

विश्वासभाजन

सो/.
वरीय उप समाहर्त्ता (पर्यटन),
दरभंगा।

ज्ञापांक....407.... दिनांक..16.12.24

प्रतिलिपि :– अपर समाहर्त्ता, दरभंगा को सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

वरीय उप समाहर्त्ता (पर्यटन),
दरभंगा।

बिहार सरकार
पर्यटन विभाग
प्रथम तल, [illegible] एक्सटेंशन भवन, मुख्य सचिवालय, पटना।
Email- js.bihartourism@gmail.com, website: www.bihartourism.gov.in

संचिका सं०-पर्य०नि०/विधि-06/2021 2569...

प्रेषक,

निदेशक,
पर्यटन निदेशालय, बिहार, पटना।

सेवा में,

जिला पदाधिकारी,
दरभंगा।

दिनांक 10-12-2024

विषय :- दरभंगा जिला अन्तर्गत जाले एवं सिंहवाड़ा प्रखण्ड के विभिन्न पर्यटक स्थलों को पर्यटन रोड मैप में शामिल करने एवं चन्दौना गाँव स्थित चन्देश्वर महादेव मंदिर का सौन्दर्यीकरण करने के संबंध मे।

प्रसंग :- श्री जिवेश कुमार, सदस्य, बिहार विधान सभा के पत्रांक 34 दिनांक 27.02.2024 एवं पत्रांक 98 दिनांक 23.07.2024

महाशय, ।

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के संबंध में कहना है कि श्री जिवेश कुमार, सदस्य, बिहार विधान सभा के द्वारा दरभंगा जिला अन्तर्गत जाले एवं सिंहवाड़ा प्रखण्ड के विभिन्न पर्यटक स्थलों को पर्यटन रोड मैप में शामिल करने एवं चन्दौना गाँव स्थित चन्देश्वर महादेव मंदिर का सौन्दर्यीकरण हेतु अनुशंसा की गयी है। (पत्र की प्रति संलग्न)

अतः अनुरोध है कि वर्णित पत्र के आलोक में भूमि के स्वामित्व के संबंध में अपने स्तर से जाँचकर पूर्ण विवरणी, नक्शा, अनापत्ति प्रमाण-पत्र एवं निर्माणोपरांत रख-रखाव व्यवस्था सहित पर्यटकीय संभावनाओं के संबंध में स्पष्ट मंतव्य के साथ विहित-प्रपत्र में प्रतिवेदन उपलब्ध कराने की कृपा की जाय।

अनु०:-यथोक्त।

विश्वासभाजन,

निदेशक,
पर्यटन निदेशालय, बिहार, पटना।

23/07/2024

Examine & do the needful. Nitish Mishra
25.7.24
Minister
Dept. of Tourism
Govt. of Bihar

माननीय मंत्री
पर्यटन विभाग
बिहार सरकार, पटना।

विषय :- दरभंगा जिला अन्तर्गत जाले प्रखण्ड के चन्दौना गाँव स्थित चन्देश्वर महादेव मन्दिर का सौन्दर्यीकरण करने के सम्बन्ध में,

महोदय,

हमारे क्षेत्रान्तर्गत दरभंगा जिला के जाले प्रखंड स्थित सहसपुर पंचायत के चन्दौना गाँव में चंदेश्वर महादेव मन्दिर परिसर में वर्ष में दो बार बड़ा मेला लगता है तथा सालोभर श्रद्धालुओं एवं सन्त-महात्मा का आगमन यहाँ होता रहता है।

अतः आपसे निवेदन है कि पर्यटकीय दृष्टिकोण से यहाँ विश्राम स्थल, धर्मशाला, वाचनालय तथा शौचालय निर्माण के साथ-साथ समुचित विद्युतीय व्यवस्था कराने हेतु सम्बंधित को आदेश देना चाहेंगे।

सादर,

(जिवेश कुमार)
स०वि०स०
87-जाले

मंत्री का कार्यालय
पर्यटन विभाग, बिहार, पटना
पी.सं.पं. 755(मं०)
दिनांक 25/7/2024

सचिव कोषांग
पर्यटन विभाग
आवती सं. 3232
दिनांक 26/07/2024

27/02/2024

माननीय मंत्री
पर्यटन विभाग
बिहार सरकार, पटना।

विषय :- दरभंगा जिला अन्तर्गत जाले एवं सिंहवाडा प्रखण्ड के विभिन्न पर्यटक स्थलों को पर्यटन रोड मैप में शामिल करने के सम्बन्ध में.

महोदय,

हमारे क्षेत्रान्तर्गत दरभंगा जिला अन्तर्गत जाले विधानसभा के विभिन्न धार्मिक, एतिहासिक महत्व एवं पर्यटन संभावनाओं से जुड़े स्थल जैसे रतवा पंचायत के मनमा गाँव स्थित महादेव मंदिर, चन्दौना गाँव स्थित चंदेश्वर महादेव तथा सिंहवाड़ा स्थित बटेश्वर महादेव को पर्यटक रोड मैप में शामिल किया जाय ताकि इन सभी जगहों को पर्यटन के रूप में विकसित किया जा सके। उपर्युक्त सभी स्थल लाखों लोगो के आस्था का केंद्र है जहाँ महाशिवरात्री के दिन बड़े पैमाने पर मेला का आयोजन किया जाता है। श्रावण मास में दूर-दूर से लोग बाबा भोलेनाथ के दर्शन एवं जलाभिषेक के लिए आते है तथा यहाँ श्रावणी मेला का आयोजन बड़े पैमाने पर होता है।

अतः आपसे निवेदन है कि उपरोक्त सभी धार्मिक एतिहासिक स्थलों को पर्यटन रोड मैप में शामिल कर पर्यटकीय दृष्टिकोण से यहाँ विश्राम स्थल, धर्मशाला, वाचनालय तथा शौचालय निर्माण के साथ-साथ समुचित विद्युतीय व्यवस्था कराने हेतु सम्बंधित को आदेश देना चाहेंगे।

सादर,

आपका ही,

(जिवेश कुमार)
स०वि०स०
87-जाले

Sec Examine & do the needful. Nitish Mishra 25.7.24
Minister
Dept. of Tourism
Govt. of Bihar

DS

समाहरणालय, दरभंगा

(जिला विकास शाखा)

पत्रांक-....1418.. /जि०वि०

प्रेषक,

वरीय उप समाहर्त्ता (पर्यटन),
दरभंगा।

सेवा में,

अनुमंडल पदाधिकारी, सदर दरभंगा।
अंचलाधिकारी, केवटी / हायाघाट / सदर दरभंगा।

लहेरियासराय, दिनांक-...16.....वीं दिसम्बर, 2024

विषय :- दरभंगा जिला अंतर्गत श्यामा मंदि परिसर में स्थित तालाब का सौन्दीर्यीकरण, हायाघाट प्रखंड अन्तर्गत सहोड़ा आनंदपुर पंचायत के महारानी लक्ष्मीपुर डयोढ़ी के अधीन 52 बीघा जमीन को पर्यटक स्थल के रूप में विकसित करने एवं केयटी प्रखंड के लालगंज पंचायत अन्तर्गत स्थित बाढ़ पोखर को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने के संबंध में।

प्रसंग :- पर्यटन विभाग का पत्रांक 2568 दिनांक 10.12.2024

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के संबंध में कहना है कि दरभंगा जिला अन्तर्गत श्यामा मंदिर परिसर में स्थित तालाब का सौन्दर्यीकरण हायाघाट प्रखंड पर्यटन के रूप में प्रखंड अन्तर्गत सहोड़ा आनंदपुर पंचायत के महारानी लक्ष्मीपुर डयोढ़ी के अधीन 52 बीघा जमीन को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने एवं केयटी प्रखंड के लालगंज पंचायत अन्तर्गत स्थित बाढ़ पोखर को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने के लिए अनुशंसा की गयी है।

अतः अनुरोध है कि वर्णित पत्र के आलोक में भूमि के स्वामित्व के संबंध में अपने स्तर से जाँचकर पूर्ण विवरणी, नक्शा, अनापत्ति प्रमाण–पत्र एवं निर्माणोपरांत रख–रखाव व्यवस्था सहित पर्यटकीय संभावनाओं के संबंध में स्पष्ट मंतव्य के साथ विहित–प्रपत्र में प्रतिवेदन उपलब्ध कराने की कृपा की जाय, ताकि ससमय विभाग भेजा जा सकें।

अनु0–यथोक्त।

विश्वासभाजन

16/12/24

वरीय उप समाहर्त्ता (पर्यटन),
दरभंगा।

बिहार सरकार
पर्यटन विभाग
प्रथम तल, बी ब्लॉक, एक्सटेंशन भवन, पुराना सचिवालय, पटना।
Email- js.bihartourism@gmail.com, website www.bihartourism.gov.in

ज्ञापांक सं० पर्या/रा०यो०/ज्ञा०-08/2021 2568 दिनांक 10-12-2024

प्रेषक

निदेशक,
पर्यटन निदेशालय, बिहार, पटना।

सेवा में,

जिला पदाधिकारी,
दरभंगा।

विषय :- दरभंगा जिला अन्तर्गत श्यामा मंदिर परिसर में स्थित तालाब का सौन्दीर्यीकरण, हायाघाट प्रखंड अन्तर्गत सहोडा आनंदपुर पंचायत के महारानी लक्ष्मीपुर ड्योढी के अधीन 52 बीघा जमीन को पर्यटक स्थल के रूप में विकसित करने एवं केवटी प्रखंड के लालगंज पंचायत अन्तर्गत स्थित बाढ़ पोखर को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने के संबंध में।

प्रसंग :- श्री हरी सहनी, मंत्री पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग, बिहार पटना का पत्रांक 170 दिनांक 25.08.2024, डॉ० रामचन्द्र प्रसाद, सदस्य बिहार विधान सभा का पत्रांक 336 दिनांक 22.08.2024 एवं डॉ० मुरारी मोहन झा, सदस्य बिहार विधान सभा का पत्रांक 280 दिनांक 10.08.2024

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के संबंध में कहना है कि श्री हरी सहनी, मंत्री पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग, बिहार पटना, डॉ० रामचन्द्र प्रसाद, सदस्य बिहार विधान सभा एवं डॉ० मुरारी मोहन झा, सदस्य, बिहार विधान सभा के द्वारा दरभंगा जिला अन्तर्गत श्यामा मंदिर परिसर में स्थित तालाब का सौन्दीर्यीकरण, हायाघाट प्रखंड अन्तर्गत सहोडा आनंदपुर पंचायत के महारानी लक्ष्मीपुर ड्योढी के अधीन 52 बीघा जमीन का पर्यटक स्थल के रूप में विकसित करने एवं केवटी प्रखंड के लालगंज पंचायत अन्तर्गत स्थित बाढ़ पोखर को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने हेतु अनुशंसा की गयी है। (पत्र की प्रति संलग्न)

अतः अनुरोध है कि वर्णित पत्र के आलोक में भूमि के स्वामित्व के संबंध में अपने स्तर से जाँचकर पूर्ण विवरणी, नक्शा, अनापत्ति प्रमाण-पत्र एवं निर्माणोपरांत रख-रखाव व्यवस्था सहित पर्यटकीय संभावनाओं के संबंध में स्पष्ट मंतव्य के साथ विहित-प्रपत्र में प्रतिवेदन उपलब्ध कराने की कृपा की जाय।

अनु०-यथोक्त।

विश्वासभाजन,

निदेशक,
पर्यटन निदेशालय, बिहार, पटना।

हरि सहनी
मंत्री
पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग
बिहार, पटना।

बिहार सरकार

Hari Sahani
Minister
BC & EBC Welfare Dept.
Bihar, Patna

पत्रांक 176/

दिनांक

मंत्री पर्यटन विभाग
2-7 AUG 2024
बिहार, पटना

माननीय मंत्री,
पर्यटन विभाग,
बिहार सरकार।

विषय :– दरभंगा जिलान्तर्गत श्यामा मंदिर परिसर में स्थित तालाब के सौन्दर्यीकरण के संबंध में।

दरभंगा जिलान्तर्गत श्यामा मंदिर में देश–विदेश से काफी संख्या में श्रद्धालुओं का दर्शन हेतु आना–जाना लगा रहता है। यह मंदिर काफी पुराना है। मंदिर परिसर में स्थित तालाब भी काफी पुराना है। वर्तमान में इस तालाब का सौन्दर्यीकरण कराना अत्यन्त आवश्यक प्रतीत हो रहा है।

अतः अनुरोध है कि उपर्युक्त के आलोक में दरभंगा जिलान्तर्गत श्यामा मंदिर परिसर में स्थित तालाब का सौन्दर्यीकरण कराने हेतु आवश्यक कार्रवाई करना चाहेंगे।

शुभकामनाओं के साथ !

25-08-24
(हरि सहनी)

सचिव कोषांग
पर्यटन विभाग
प्राप्ति सं. ....
दिनांक ....

स्थायी पता
ग्राम-पो०- सिमरी, थाना- [illegible]
भाया- [illegible] [illegible] जिला- [illegible]
पिन कोड- 847101
9430044284, 9801394977
पटना आवास का पता :-
आवास सं०- 16/8, वीरचंद पटेल पथ पटना
भाजपा प्रदेश कार्यालय के सामने

पत्रांक 336/24
D/2

दिनांक 22/08/24

Secretary
Do the needful
Nitin Mandar
23-8-24
Minister
of Tourism
Govt. of Bihar

सेवा में,

माननीय मंत्री
पर्यटन विभाग
बिहार सरकार, पटना।

विषय:- दरभंगा जिला के हायाघाट प्रखंड अंतर्गत सहोड़ा आनंदपुर पंचायत के महारानी लक्ष्मीपुर ड्योढ़ी के अधीन 52 बीघा जमीन को पर्यटक स्थल के रूप में विकसित करने के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संदर्भ में सूचित करना है कि दरभंगा जिला के हायाघाट प्रखंड अंतर्गत सहोड़ा आनंदपुर पंचायत के महारानी लक्ष्मीपुर ड्योढ़ी स्थित रामजानकी का करीब सौ वर्ष पुराना मंदिर है, जिससे इस क्षेत्र की लोगों की आस्था एवं भावना जुड़ी हुई है। इस मंदिर के अधीन 52 बीघा खाली जमीन उपलब्ध है जिसे पर्यटक स्थल के रूप में उपयोग किया जा सकता है। महारानी लक्ष्मीपुर ड्योढ़ी स्थित एक विशाल तालाब है। जिसमें पूरे पंचायत के लोग लोक आस्था का महापर्व छठ पूजा मनाते हैं, जिसमें हजारों की संख्या में भीड़ एकत्रित होती है। इस मंदिर में स्थित देवी देवताओं के दर्शन करने इस इलाके के लगभग पचास गाँव के लोग यहाँ आते है और यहाँ की पौराणिक स्थलों का भ्रमण करते है। यदि महारानी लक्ष्मीपुर ड्योढ़ी के 52 बीघा खाली जमीन एवं यहाँ स्थित तालाब का जीर्णोद्धार कराकर इसे पर्यटक स्थल के रूप में विकसित कराया जाएगा तो इस मंदिर के दर्शन हेतु आने वाले श्रद्धालुओं के लिए पर्यटन एवं मनोरंजन का एक नया साधन उपलब्ध होगा, जिससे और भी लोग भारी संख्या में यहाँ आएंगे जिससे ये स्थल एक पर्यटन स्थल के रूप में विकसित होगा।

अतः आग्रह है कि उपरोक्त विषयों पर विचार करते हुए उक्त स्थल का जीर्णोद्धार कराकर पर्यटक स्थल के रूप में विकसित कराने की कृपा करेंगे।

भवदीय

(डॉ० रामचन्द्र पूर्वे) 22/08/24
स० वि० प०

मंत्री का कार्यालय
पर्यटन विभाग, बिहार, पटना
दै.स.पं.सं. 123 /MOT
दिनांक 23/8/2024

सचिव कोषांग
पर्यटन विभाग
डायरी सं. A327
दिनांक 27/08/2024

विधायक- 86-केवटी, दरभंगा
बिहार विधान सभा
सदस्य-कृषि उद्योग विकास समिति

MLA- 86-Keoti, Darbhanga
Bihar Legislative Assembly
Member- Krishi Udhyog Vikas Samiti

Ref. No. 1413-780/24

Date 10/9/24

सेवा में,

माननीय मंत्री महोदय

पर्यटन विभाग

बिहार, सरकार ।

विषय-केवटी प्रखंड के लालगंज पंचायत अंतर्गत स्थित बाढ़ पोखर को पर्यटन स्थल के रूप विकसित करने के संबंध में ।

उपरोक्त विषय के संबंध में कहना है कि केवटी विधानसभा क्षेत्र के प्रखंड केवटी के पंचायत लालगंज अंतर्गत 62 एकड़ में स्थित बाढ़ पोखर को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित होने से न केवल हमारे क्षेत्र के लोगों को लाभ होगा बल्कि यह हमारे राज्य के पर्यटन को भी बढ़ावा देगा , पर्यटन के लिए आवश्यक सुविधाए जैसे होटल,रेस्टुरेंट पार्किंग पर्यटन से संबंधित कार्यशालाए एवं प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित कि जाएगी, स्थानीय लोगो को रोजगार के अवसर मिलेंगे स्थानीय व्यवसायों,संस्कृति और परंपराओ को बढ़ावा मिलेगा राज्य की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण वृद्धि होगी ।

अतः उपरोक्त स्थल का सर्वेक्षण करते हुए अतिशीघ्र चयन कर बाढ़ पोखर को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने की दिशा में अग्रतर करवाई करना चाहेंगे ।

मंत्री का कार्यालय
पर्यटन विभाग, बिहार, पटना
प्र.स.प्रे.सं. 177 (मं०) ....
दिनांक 12.9.2024 ....

सचिव कोषांग
पर्यटन विभाग
डायरी सं. 1762 ....
दिनांक 13/09/2024

भवदीय

(डॉ०मुरारी मोहन झा)

स०वि०स०

Minister
Dept. of Tourism
Govt. of Bihar

समाहरणालय, दरभंगा

(जिला विकास शाखा)

पत्रांक–......609../ जि०वि०

प्रेषक,

वरीय उप समाहर्त्ता (पर्यटन),
दरभंगा।

सेवा में,

अनुमंडल पदाधिकारी, सदर दरभंगा।
अंचलाधिकारी, बहेड़ी दरभंगा।

लहेरियासराय, दिनांक–...16...वीं दिसम्बर, 2024

विषय :– दरभंगा जिला अंतर्गत बहेड़ी प्रखंड के बंदिहुली गाँव में वीर लोरिक धाम को पर्यटक स्थल के रूप में विकसित करने के संबंध में।

प्रसंग :– पर्यटन विभाग का पत्रांक 2580 दिनांक 10.12.2024

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रसांगिक पत्र के संबंध में कहना है कि दरभंगा जिला अन्तर्गत बहेड़ी प्रखंड के बंदिहुली गाँव में वीर लोरिक धाम पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने के लिए अनुशंसा की गयी है।

अतः अनुरोध है कि वर्णित पत्र के आलोक में भूमि के स्वामित्व के संबंध में अपने स्तर से जाँचकर पूर्ण विवरणी, नक्शा, अनापत्ति प्रमाण–पत्र एवं निर्माणोपरांत रख–रखाव व्यवस्था सहित पर्यटकीय संभावनाओं के संबंध में स्पष्ट मंतव्य के साथ विहित–प्रपत्र में प्रतिवेदन उपलब्ध कराने की कृपा की जाय, ताकि ससमय विभाग भेजा जा सकें।

अनु0–यथोक्त।

विश्वासभाजन
16/12/24

वरीय उप समाहर्त्ता (पर्यटन),
दरभंगा।

बिहार सरकार
पर्यटन विभाग
प्रथम तल, बीएसआईडीसी एग्जीबिशन भवन मुख्य सचिवालय, पटना।
Email- js.bihartourism@gmail.com, website www.bihartourism.gov.in

पत्रांक सं०-पर्य०/नि०/योजना-08/2021 7580 दिनांक 10.12.2024

प्रेषक,

निदेशक,
पर्यटन निदेशालय, बिहार, पटना।

सेवा में,

जिला पदाधिकारी,
दरभंगा।

विषय :- दरभंगा जिलान्तर्गत बहेड़ी प्रखंड के बंदिहुली गाँव में वीर लोरिक धाम को पर्यटक स्थल के रूप में विकसित करने के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि दरभंगा जिलान्तर्गत बहेड़ी प्रखंड के बंदिहुली गाँव में वीर लोरिक धाम को पर्यटक स्थल के रूप में विकसित करने के प्रस्ताव की समीक्षा की जा रही है।

अतः अनुरोध है कि उपरोक्त स्थल के भूमि स्वामित्व के संबंध में अपने स्तर से जाँचकर पूर्ण विवरणी, नक्शा, अनापत्ति प्रमाण-पत्र एवं निर्माणोपरांत रख-रखाव व्यवस्था सहित पर्यटकीय संभावनाओं के संबंध में स्पष्ट मंतव्य के साथ विहित-प्रपत्र में प्रतिवेदन उपलब्ध कराने की कृपा की जाय।

अनु०-यथोक्त।

विश्वासभाजन,
10/12/24
निदेशक,
पर्यटन निदेशालय, बिहार, पटना।

कार्यालय : जिला कला, संस्कृति एवं युवा

खेल भवन सह व्यायामशाला, मधुबनी

Email id- dacomadhubani@gmail.com Mob-no.- 9958601845

जिले में दिनांक - 20-21 दिसम्बर 2024 को पर्यटन उद्योग समिति की स्थल अध्ययन यात्रा हेतु प्रतिवेदन

मधुबनी जिलान्तर्गत कुछ महत्वपूर्ण सांस्कृतिक / ऐतिहासिक स्थल

सन 1846 में ब्रिटिश सरकार ने मधुबनी को तिरहुत के अधीन अनुमंडल बनाया। 1875 में दरभंगा के स्वतंत्र जिला बनने पर इसका अनुमंडल बना और स्वतंत्रता के पश्चात 1972 में मधुबनी को स्वतंत्र जिला बना दिया गया। कमला, करेह, बलान, भूतही बलान, गेहुंआ, सुपेन, त्रिशूला, जीवन, कोसी और अधवारा समूह की नदियाँ यहाँ की मुख्य नदियाँ हैं। कोसी नदी जिले की पूर्वी सीमा तथा अधवारा या छोटी बागमती पश्चिमी सीमा बनाती है।

मधुबनी व दरभंगा को मिथिला संस्कृति का दो ध्रुव माना जाता है। इसके दक्षिण में दरभंगा, उत्तर में नेपाल, पूर्व में सुपौल तो पश्चिम में सीतामढ़ी जिला स्थित है। मैथिली यहां की प्रमुख भाषा है जिसकी अपनी लिपि तिरहुता या मिथिलाक्षर है। इसका अपना एक भरा-पूरा साहित्य है। विश्व प्रसिद्ध मिथिला पेंटिंग एवं मखाना ने मधुबनी को बिहार या भारत ही नहीं अपितु पूरे विश्व भर में ख्याति दिलाई है।

क्रं	विरासत एवं ऐतिहासिक स्थल	स्थान	विशेषता
1	उग्रनाथ शिव मंदिर (उगना महादेव)	भवानीपुर (पंडौल)	
2	ऐतिहासिक राजनगर परिसर	राजनगर	दरभंगा राज का प्राचीन भवन, मंदिर, कलाकृति एवं मूर्तियाँ
3	काली मंदिर	राजनगर	
4	सौराठ सभा गाछी	सौराठ (रहिका)	प्राचीन सभा स्थल, मंदिर एवं तालाब
5	उच्चैठ मंदिर	बेनीपट्टी	दुर्गा स्थान, प्रसिद्द शक्तिपीठ, कवि कालिदास से सम्बंधित स्थल
6	एकादश रूद्र महादेव मंदिर	मंगरौनी	एकादश शिवलिंग मंदिर
7	कपिलेश्वर स्थान	रहिका	शिव मंदिर, कपिल मुनि से सम्बंधित स्थल
8	जितवारपुर एवं रांटी गाँव	रहिका एवं राजनगर	मिथिला पेंटिंग का मुख्य केंद्र, पद्मश्री विजेताओं का गाँव
9	बलिराज गढ़	बाबूबरही	पुरातात्विक स्थल
10	बिस्फी	बिस्फी	कवि विद्यापति जी का जन्मस्थल
11	कन्दर्पी घाट	झंझारपुर	ऐतिहासिक स्थल- मिथिला विजय स्तम्भ
12	जगबन	बिस्फी	याज्ञवल्क्य ऋषि आश्रम
13	मिथिला हाट	झंझारपुर	अर्बन हाट
14	मुक्तेश्वर स्थान	अंधराठाढ़ी	ऐतिहासिक स्थल

15	फुलहर	हरलाखी	भगवान राम और सीता के प्रथम मिलन का साक्षी
16	पुलिस लाइन काली मंदिर एवं महल	भवर, मधुबनी	दरभंगा राज कालीन महल एवं मंदिर

जिले में कला संस्कृति एवं युवा विभाग द्वारा सांस्कृतिक क्षेत्र में क्रियाकलाप

1. **जिले में आम्रपाली प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना** - मधुबनी जिले में कला संस्कृति एवं युवा विभाग, बिहार के द्वारा आम्रपाली प्रशिक्षण केंद्र स्थापित करने कि योजना है , जिस से नवोदित कलाकारों को गीत, नृत्य, वादन आदि का प्रशिक्षण दिया जा सके | आम्रपाली प्रशिक्षण केंद्र हेतु किराये के मकान के लिए जिला परिषद् कार्यालय के निचले तले का चयन किया जा चुका हैं | प्रशिक्षण हेतु शिक्षकों की चयन प्रक्रिया प्रक्रियाधीन है |

2. **बिहार फिल्म प्रोत्साहन नीति, 2024** - बिहार सरकार द्वारा राज्य में फिल्म उद्योग को बढ़ावा देने एवं इस से जुड़े व्यवसायों में रोजगार को बढ़ावा देने तथा राज्य के अमूल्य विरासत, संस्कृति एवं दार्शनिक स्थलों के प्रदर्शन एवं प्रचार-प्रसार हेतु इस नीति को स्वीकृति प्रदान की गयी हैं | जिला स्तर पर फिल्म निर्माण के दौरान सुविधा प्रदान करने हेतु जिला स्तरीय फिल्म समन्वय समिति के नोडल पदाधिकारी के रूप में अपर समाहर्ता- सह- अपर जिला पदाधिकारी श्री शैलेश कुमार को नामित किया जा चुका है |

3. **जिला स्तरीय युवा उत्सव** - राष्ट्रीय युवा उत्सव मे राज्य की सहभागिता हेतु कलाकारों के चयन के लिए जिला स्तरीय युवा उत्सव का आयोजन हर वर्ष किया जाता हैं | जिला स्तरीय युवा उत्सव कार्यक्रम का आयोजन 4-5 अक्टूबर 2024 को किया गया जिसमे Culture (Folk Dance/ Songs), Life Skill (Poetry/Story writing/Painting) आदि कार्यक्रम सम्मिलित था | राज्य स्तरीय युवा उत्सव -2024, लखीसराय में दिनांक - 30 नवम्बर , 1-2 दिसम्बर को आयोजित किया गया जिसमें मधुबनी जिले के दल को कला शोभा यात्रा में द्वितीय और छायाचित्र में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ |

4. **जिला स्थापना दिवस एवं मधुबनी महोत्सव** - जिले में कला संस्कृति एवं युवा विभाग द्वारा जिला स्थापना दिवस और मधुबनी महोत्सव का आयोजन दिनांक - 01-02 दिसम्बर, 2024 को किया गया |

5. **बलिराजगढ़ -** जिले के बाबूबरही प्रखंड के बलिराजगढ़ में प्राचीन किला तथा गढ़ है, जो स्थानीय स्तर पर राजा बलि का गढ़ के नाम से जाना जाता है। यह भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का केन्द्रीय रूप में संरक्षित स्थल है जो 122.31 एकड़ भूमि में फैला हुआ है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) ने पहली बार वर्ष 1962-63 में खुदाई का काम किया था, जिसके बाद राज्य पुरातत्व, बिहार सरकार ने 1972-73 में खुदाई की । है। बड़ी संख्या में पुरावशेष मिलने के कारण एक वर्ष के अंतराल के बाद 1974-75 में भी इसे आगे बढ़ाया गया। इसके आगे भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) ने वर्ष 2013-14 में खुदाई का कार्य किया। खुदाई में पांच चरणों के सांस्कृतिक कालों यथा-उत्तरी काले मृदमाण्ड, शुंग, कुषाण, गुप्त व इसके बाद पालों के काल, के प्रमाण का पता चला है। खोज में तीन विभिन्न चरणों में परकोटा के अवशेष, गारे में रखी जली हुई ईंटों के संरचना के अवशेष और आवासीय भवनों की कुछ अन्य संरचनाएं भी प्रकाश में आई है। पुरावशेषों में टेराकोटा की वस्तुएं जैसे जानवर और मनुष्य की मूर्तियां, बीड, अर्द्ध मूल्यवान पत्थरों की बीड, गोलबंद आदि शामिल हैं।

बीते 77 वर्षों में चार बार इस स्थल का उत्खनन हुआ है। इसमें दो बार एएसआई और दो बार राज्य पुरातत्व निदेशालय ने करवाया | निचले स्तरों पर उत्खनन में और भी महत्वपूर्ण पुरावशेष के सामने आने की संभावना है।

दिनांक - 11/12/2024 को सचिव, कला संस्कृति एवं युवा विभाग द्वारा बलिराजगढ़ का इसके संरक्षण एवं संवर्धन से जुडी योजना बनाने के उद्देश्य से निरीक्षण किया गया |

विश्वासभाजन

(हस्ताक्षर) 21/12/24

जिला कला एवं संस्कृति पदाधिकारी

मधुबनी |

बिहार सरकार

कार्यालय, अनुमंडल पदाधिकारी–सह–दण्डाधिकारी, पुपरी (सीतामढ़ी)
दूरभाष सं0–06228224811 ई–मेल–sdo.pup.stm@gmail.com

पत्रांक 316 /गो0 दिनांक 10-3-2022

प्रेषक,

अनुमंडल पदाधिकारी,
पुपरी।

सेवा में,

जिला पदाधिकारी,
सीतामढ़ी।

विषयः– निबंधित न्यासों की सूची भेजने के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक बिहार राज्य धार्मिक न्यास पर्षद, पटना से प्राप्त सीतामढ़ी जिला अन्तर्गत निबंधित न्यासों की सूची इस पत्र के साथ छायाप्रति संलग्न कर आवश्यक कार्रवाई हेतु भेजा जा रहा है।

अनुलग्नकः–यथोपरि।

विश्वासभाजन

अनुमंडल पदाधिकारी,
पुपरी।

ज्ञापांकः– 316/गो0 दिनांकः– 10-3-2022

प्रतिलिपिः–अपर समाहर्त्ता, सीतामढ़ी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुमंडल पदाधिकारी,
पुपरी।

19.	22	अरवत्ता मठ	अरवत्ता	–	–	–	सीतामढ़ी
20	1686	श्री राम जानकी लक्ष्मण, हनुमान जी मंदिर	पंथ पाकर	पंथ पाकर	बथनाहा	–	सीतामढ़ी
21	1995	बघारी मठ पछियारी मठ (स्थान)	बघाड़ी	बघाड़ी	रुन्नी सैदपुर	–	सीतामढ़ी
22	3232	श्री राम जानकी, गौड़ा स्थान	गौड़ा	गौड़ा	नानपुर	–	सीतामढ़ी
23	413	श्री राधे कृष्ण ठाकुरबाड़ी (पछियारी मठ)	पोता ताजपुर उर्फ तिलक ताजपुर	पोता ताजपुर उर्फ तिलक	रुन्नी सैदपुर	रुन्नी सैदपुर	सीतामढ़ी
24	230	मरपा मठ	–	–	बरमनिया	बरमनिया	सीतामढ़ी
25	3358	श्री राम जानकी मंदिर	गोरसण्ड	–	–	–	सीतामढ़ी
26	318	सिरसीमठ (कपाली मठ)	सिरसी	–	–	–	सीतामढ़ी
27	368	श्री रामजानकी मंदिर, बिशनपुर	बिशुनपुर	चोरौत	पुपरी	चोरौत	सीतामढ़ी
28	427	पकटोले भटौलिया मठ	भटौलिया	पकटोले	सुमरा	–	सीतामढ़ी
29	742	अरवत्ता मठ	अरवत्ता	अरवत्ता	बैरगनिया	बैरगनिया	सीतामढ़ी
30	831	श्री लक्ष्मी नारायण श्री रामजानकी मंदिर, पुपरी बड़ी ठाकुरबाड़ी	पुपरी बाजार	पुपरी	जनकपुर रोड पुपरी बाजार	–	सीतामढ़ी
31	2318	श्री नरसिंह भगवान चोरौत	चोरौत	चोरौत	पुपरी	चोरौत	सीतामढ़ी
32	2321	श्री मुरली मनोहर स्थान, सुरसण्ड (चोरौत)	सुरसण्ड	सुरसण्ड	सुरसण्ड	सुरसण्ड	सीतामढ़ी
33	2317	श्री सीता राम जी मंदिर, (चोरौत)	चोरौत	चोरौत	पुपरी	चोरौत	सीतामढ़ी
34	2323	श्री हनुमानजी मंदिर, सुरसण्ड	सुरसण्ड	सुरसण्ड	सुरसण्ड	सुरसण्ड	सीतामढ़ी
35	2322	सीता राम जी मंदिर सुरसण्ड	सुरसण्ड	सुरसण्ड	सुरसण्ड	सुरसण्ड	सीतामढ़ी
36	382	श्री लक्ष्मी नारायण ट्रस्ट, चोरौत	चोरौत	चोरौत	पुपरी	चोरौत	सीतामढ़ी
37	2324	श्री सीता राम जी भगवान मंदिर	ओंकार पट्टी	लाकर बसैना	मधुबापुर	चोरौत	सीतामढ़ी

38	2326	श्री सीता राम जी भगवान मंदिर फुलवर चोरौत	फुलवर	फुलवर	हरलाखी	चोरौत	सीतामढ़ी
39	2320	मंगलमुखी हनुमान जी मंदिर चोरौत.	चोरौत	चोरौत	पुपरी	चोरौत	सीतामढ़ी
40	2326	श्री नरसिंह भगवान औंआरपट्टी चोरौत	ओआर पट्टी	साहरघलवा	मधवापुर	–	सीतामढ़ी
42	2010	श्री राधाकृष्ण मंदिर चोरौत	चोरौत	चोरौत	पुपरी	चोरौत	सीतामढ़ी
43	3177	श्री रामजानकी मंदिर	मालिकपुर मकड़ी	भासर मछहाँ	–	डुमरा	सीतामढ़ी
44	756	पिपरा विशनपुर ठाकुरबाड़ी	पिपरा विशनपुर	बराही	परिहार	परिहार	सीतामढ़ी
45	1811	डुमरी खुर्द श्री रामजानकी मंदिर	डुमरी खुर्द	डुमरी खुर्द	मेजरगंज	–	सीतामढ़ी
46	622	श्री राम लक्ष्मण जानकी ठाकुरबाड़ी रेवासी	रेवासी	रेवासी	रीगा	रीगा	सीतामढ़ी
47	346	धाधी कपाली मठ	धाधी	सिरसी	–	बोखड़ा	सीतामढ़ी
48	234*	लक्ष्मी महामाया स्थान (ट्रस्ट)	रसूलपुर	रसूलपुर	–	–	सीतामढ़ी
49	3062	न्यास समिति सर्वोदय गुरुकुल आश्रम	पचटकी जदू	पचटकी जदू	बैरगनिया	बैरगनिया	सीतामढ़ी
50	3402	बाबा शारदेश्वर नाथ महादेव मंदिर	सुतिहार	सुतिहार	परिहार	परिहार	सीतामढ़ी
51	3636	श्री राम जानकी मंदिर	पिरयानाथ	डुमरा	डुमरा	सीतामढ़ी	सीतामढ़ी
52	2044	श्री रामजानकी ठाकुरबाड़ी, भीमपुर	भीमपुर	भीमपुर	कन्नी सैदपुर	–	सीतामढ़ी
53	323	परसौनी गोप ठाकुरबाड़ी	परसौनी गोप	सोनौल सुल्तान	–	पिपराही	सीत[illegible]
54	116	कोईली मठ	कोईली	कोईली	बथनाहा	बथनाहा	सीतामढ़ी
55	3721	राघोपुर बखरी स्थान	–	राघोपुर बखरी	रीगा	–	सीतामढ़ी
56	3736	श्री राम जानकी मंदिर	कमलदह	कमलदह	बथनाहा	बथनाहा	सीतामढ़ी
57	3466	श्री राम जानकी मंदिर, सिरौली टोले राम नगरा ठाकुरबाड़ी	रामनगरा	सिरौली	रीगा	–	सीतामढ़ी

58	5??	श्री रामजानकी मंदिर,मवदेपुर ठाकुरवाड़ी	मवदेपुर	मवदेपुर	रीगा	सीतामढ़ी	सीतामढ़ी
59	3?76	श्री कबीर पंथी मठ, कुरथहिया	कुरथहिया	बाथोपट्टी नरहर	–	बाथोपट्टी	सीतामढ़ी
60	60	परसा मठ	परसा	हरिबैला	सोनवर्षा	सोनवर्षा	सीतामढ़ी
61	2312	शुकेश्वर नाथ महादेव मंदिर	मड़पा सिघवाल	तसथिट्टा	मेजरगंज	मेजरगंज	सीतामढ़ी
62	463	श्री रामजानकी मंदिर, भवानीपुर चोटाही	भवानीपुर चोटाही	बरबरी	रीगा	रीगा	सीतामढ़ी
63	2221	वर्हुभुज नाथ जी महादेव	कोर्ट बाजार	मानिक चौक	–	–	सीतामढ़ी
64	316	विक्ररख मठ	बघाड़ी	बघाड़ी	सुरसण्ड	बाजपट्टी	सीतामढ़ी
65	2364	श्री रामजानकी ठाकुरबाड़ी	रसलपुर	रसलपुर	डुमरा	–	सीतामढ़ी
66	524	अम्हारी मठ	अम्हारी	अम्हारी	रीगा	रीगा	सीतामढ़ी
67	3131	बैरसण्ड पछियारी मठ	बेलसंड	बेलसंड	–	–	सीतामढ़ी
68	3695	कबीर मठ कमलदह	कमलदह	कमलदह	बथनाहा	बथनाहा	सीतामढ़ी
69	2218	श्री अदभूतनाथ जी मानिक चौक	मानिक चौक	मानिक चौक	–	–	सीतामढ़ी
70	2220	श्री बाबा अद्भूत नाथ महादेव स्थान	अम्हारी	अम्हारी	–	–	सीतामढ़ी
71	2533	हल्लो कोआरी मठ	कोआरी मदन	कोआरी मदन	मेजरगंज	मेजरगंज	सीतामढ़ी
72	458	भवानीपुर चोटाही मठ	भवानीपुर चोटाही	राघोपुर बखरी	रीगा	रीगा	सीतामढ़ी
73	2217	म0 विवेकानन्द गिरी जगपतेश्वर नाथ जी	मानिक चौक लन्नी सैयदपुर	मानिक चौक लन्नी	–	–	सीतामढ़ी
74	3058	श्री रामजानकी ठाकुरबाड़ी	महादेव पट्टी	महादेव पट्टी	परिहार	परिहार	सीतामढ़ी
77	3909	खुनरी कला पछियारी मठ	खुनरी खुर्द	खुनरी खुर्द	मेजरगंज	–	सीतामढ़ी
78	2147	श्री राम जानकी स्थान मंदिर (जानकी स्थान)	सीतामढ़ी	सीतामढ़ी	सीतामढ़ी	सीतामढ़ी	सीतामढ़ी

[illegible]	ℹ	पंचायती सदु सम्यासी मठ	पंचायती धातु	पंचायती धातु	बैरगनिया	बैरगनिया	[illegible]
	3010	श्री जानकी बल्लभ लालजी ठाकुरबाड़ी	जानकी स्थान के निकट गोशाला रोड	–	–	–	सीतामढ़ी
82	541	महावीर मंदिर श्री राम लाला निवास जानकी स्थान	जानकी स्थान	सीतामढ़ी	सीतामढ़ी	सीतामढ़ी	सीतामढ़ी
84	2219	श्री गणेश जी स्थान मानिक चौक	रून्नी सैदपुर	रून्नी सैदपुर	रून्नी सैदपुर	–	सीतामढ़ी
86	1145	बछारपुर, कबीर मठ	बछारपुर	कुम्हरा बिशनपुर	–	डुमरा	सीतामढ़ी
88	203	कबीर पंथी मठ, बेल डुमरवाना	डुमरवाना	बैरगनिया	बैरगनिया	–	सीतामढ़ी
90	1479	श्री चन्द किशोर प्रसाद	माधोपुर सारनाथ	भीमपुर मधुरा	–	–	सीतामढ़ी
91	3144	औघर मठ	रामनगर	गम्हरिया	–	–	सीतामढ़ी
92	1821	महंथ राम प्रसाद	हरिबेला	हरिबेला	सोनबरसा	सोनबरसा	सीतामढ़ी
93	2581	श्री राम जानकी ठाकुरबाड़ी	बखरी	रामपुर बखरी	सीतामढ़ी	सीतामढ़ी	सीतामढ़ी
94	2626	महादेव स्थान रीगा	रीगा	रीगा	–	–	सीतामढ़ी
95	507	पहाड़पुर बनहरा, श्री राम जानकी मंदिर	पहाड़पुर बनहरा	नया गाँव	–	–	सीतामढ़ी
96	1809	श्री रामजानकी ठाकुरबाड़ी	बाजार टोला मानिक चौक	मानिक चौक	रून्नी सैदपुर	रून्नी सैदपुर	सीतामढ़ी
97	3833	मुगलकालीन मानव मुक्ति संघ	मो0– वार्ड नं0–2, कचपदुआ रोड शंकर चौक डुमरा	–	–	–	सीतामढ़ी
98	2535	श्री राधा कृष्ण मंदिर	मदनपुर (लक्ष्मी हाई स्कूल के पास)	सीतामढ़ी	–	–	सीतामढ़ी
99	1792	सुप्पी मठ	सुप्पी	सुप्पी	बखरया	–	सीतामढ़ी
100	2142	लाला छाबी, श्री रामजानकी मंदिर	मोरसंड	मानपुर, मोरसंड	रून्नी सैदपुर	रून्नी सैदपुर	सीतामढ़ी

	5978	राम जानकी ठाकुरवाड़ी मूल्ली दक्षिणवारी	मूल्ली	मूल्ली	परसौनी	बेलसंड	सीतामढ़ी
[illegible]	541	ठाकुर राम लाला निवास मधुबन जानकी स्थान	चकम, मधुबन	चकमहिला	–	–	सीतामढ़ी
104	321	श्री रामजानकी मठ, धुम्मा	धुम्मा	धुम्मा	रून्नी सैदपुर	रून्नी सैदपुर	सीतामढ़ी
107	3947	श्री राम जानकी मंदिर	मानिकपुर	आवापुर	पुपरी	पुपरी	सीतामढ़ी
108	3976	श्री राम जानकी मंदिर	अखता (वाजपेयी टोला)	अखता	–	बैरगनिया	सीतामढ़ी
109	318	श्री श्री 108 राजाधिराज मंदिर (नवाही मंदिर)	हनुमान नगर	हनुमान नगर	सुरसंड	सुरसंड	सीतामढ़ी
110	409	तिलक ताजपुर मठ (ताले दास)	तिलक ताजपुर	तिलक ताजपुर	रून्नी सैदपुर	बेलसंड	सीतामढ़ी
111	3444	श्री चिन्ता अभय हनुमान जी मंदिर	दमामी	दमामी	बेलसंड	सीतामढ़ी	सीतामढ़ी
112	360	श्री राम जानकी जी ठाकुरबाड़ी, सिंगुआ	सिंगुआ	बहेरा	मेजरगंज	मेजरगंज	सीतामढ़ी
113	45	श्री राम जानकी ठाकुरबाड़ी	मरपा चिरपाल	बसबीट्टा	मेजरगंज	मेजरगंज	सीतामढ़ी
114	2661	श्री रामजानकी मंदिर, कुसुमपुर बखरी	कुसुमपुर बखरी	–	–	रीगा	सीतामढ़ी
115	2300	काली मंदिर	काली चौक बैरगनिया	बैरगनिया	–	बैरगनिया	सीतामढ़ी
116	791	; डुमरी कला मठ	डुमरी कला	डुमरी कला	मेजरगंज	मेजरगंज	सीतामढ़ी
117	268	पिपरा दादन मठ	पिपरा दादन	पिपरा दादन	–	सोनबरसा – 1	सीतामढ़ी
118	3493	हनुमत धाम	धोधनी	डोंगर मधनपुर	परसौनी	परसौनी	सीतामढ़ी
119	2185	सोनमा कबीर मठ	सोनमा	बथनाहा	–	बथनाहा	सीतामढ़ी
120	166	श्री सिद्ध बाबा की बड़ी कुटीया	सीतामढ़ी	सीतामढ़ी	सीतामढ़ी	सीतामढ़ी	सीतामढ़ी

[illegible]	[illegible]	परसौनी गोप मठ पछियारी	परसौनी गोप	सोनौल सुल्तान	पुरनहिया	पुरनहिया	सीतामढ़ी
[illegible]	4095	श्री राम जानकी मंदिर पुरवारी पथान पचाढ़ी	पचाढ़ी	पचाढ़ी	–	रून्नी सैदपुर	सीतामढ़ी
[illegible]	4027	श्री राम जानकी मंदिर हरसिंहपुर	हरसिंहपुर	मानिक चौक	रून्नी सैदपुर	रून्नी सैदपुर	सीतामढ़ी
124	4062	श्री हनुमानजी मंदिर एवं दुर्गा मंदिर (महावीर मंदिर)	आवापुर	आवापुर	पुपरी	पुपरी	सीतामढ़ी
125	4061	श्री राम जानकी मंदिर	कैलाशपुरी, वार्ड नं0–09	एस0 ओ0 सीतामढ़ी	डुमरा	–	सीतामढ़ी
126	3656	श्री हलेश्वरनाथ महादेव न्यास समिति फतेहपुर गिरमिसानी	फतेहपुर गिरमिसानी	फतेहपुर गिरमिसानी	सीतामढ़ी	सीतामढ़ी	सीतामढ़ी
127	2355	भवानीपुर घोटाही मठ	–	बखरी	सीतामढ़ी	सीतामढ़ी	सीतामढ़ी
128	4150	श्री राम जानकी मंदिर	बरियारपुर	–	सीतामढ़ी	सीतामढ़ी	सीतामढ़ी
129	3337	श्री राधा कृष्ण मंदिर	ससौला रामा	ससौला रामा	मेजरगंज	सीतामढ़ी सदर	सीतामढ़ी
130	4262	श्री राम जानकी मंदिर	लालपुर	लालपुर	रून्नी सैदपुर	रून्नी सैदपुर	सीतामढ़ी
131	4275	श्री श्री 108 कबीर साहेब का मठ	बेलरहिया	चौंदी रजवाड़ा	बेला	–	सीतामढ़ी
132	4290	श्री राम जानकी मंदिर	आजमगढ़	लगमा	डुमरा	डुमरा	सीतामढ़ी
133	2033	श्री श्री 108 बाबा मनोहर दास जी का मठ	बैरगनियाँ	बैरगनियाँ	बैरगनियाँ	सीतामढ़ी	सीतामढ़ी
134	4337	श्री गोपाल धर्मशाला, पुपरी	जनकपुर पुपरी (जनक रोड)	जनकपुर रोड पुपरी	जनकपुर रोड,	–	सीतामढ़ी
135	4368	श्री ब्रह्मस्थान मंदिर	गाढ़ा (पछिलवारा उर्फ गाढ़ा पंचायत)	रून्नी सैदपुर	रून्नी सैदपुर	रून्नी सैदपुर	सीतामढ़ी
136	4369	श्री रामजानकी जी, श्री राधाकृष्ण जी व बाबा गौरी शंकर मठ	भुतही (उत्तरवारी मठ)	भुतही (उत्तरवारी मठ)	परसौनी	परसौनी	सीतामढ़ी
137	4665	श्री रामजानकी मंदिर	मुरादपुर	डुमरा	डुमरा	डुमरा	सीतामढ़ी
138	4130	श्री बिचार दास मठ	राजोपट्टी उर्फ कोटबाजार	–	–	–	सीतामढ़ी
139	4666	श्री रामजानकी मंदिर	बरियारपुर	बरियारपुर	सीतामढ़ी	डुमरा	सीतामढ़ी
140	4668	श्री रामजानकी जी व अन्य देवतागण मंदिर	मनियारी	ढेंग	मेजरगंज	सुप्पी	सीतामढ़ी

समाहरणालय, सीतामढी।

(जिला सामान्य प्रशाखा)

आदेश

महालेखाकार बिहार पटना वित्त विभाग बिहार(पर्यटन विभाग) पटना के पत्रांक–408 प0वि0 दिनांक–19.02.2024 द्वारा सीतामढ़ी जिलान्तर्गत ग्राम–पंथ पाकड़ में पर्यटकीय विकास हेतु 2.856 एकड़ रैयती भूमि अधिग्रहण के निमित राशि 2,97,18,304/–(दो करोड़ संतानवे लाख अठारह हजार तीन सौ चार) रूपया मात्र का प्रशासनिक स्वीकृति एवं वर्तमान वित्तीय वर्ष 2023–24 में इतनी ही राशि 2,97,18,304/–(दो करोड़ संतानवे लाख अठारह हजार तीन सौ चार) रूपया मात्र की निकासी की स्वीकृति जिला पदाधिकारी सीतामढ़ी को प्राप्त हुआ है।

1. प्राप्त राशि रूपये 2,97,18,304/–(दो करोड़ संतानवे लाख अठारह हजार तीन सौ चार) रूपया मात्र पर्यटकीय संरचनाओं क निमार्ण हेतु वित्तीय वर्ष 2023–24 के संसूचित राज्य–योजना उद्व्यय के मुख्य शीर्ष– 5452–पर्यटन पर पूंजीगत परिव्यय, उप मुख्य शीर्ष–01–पर्यटक अवसंरचना, लघु शीर्ष–101–पर्यटक केन्द्र, उप शीर्ष–0104–पर्यटकीय संरचनाओं का विकास एवं विपत्र कोड–46–5452011010104, विषय शीर्ष–5302– भू–अर्जन मद् में अपबंधित राशि से विकलनीय होगा एवं कुल आवंटित राशि को निम्न प्रकार जिला–भू– अर्जन पदाधिकारी, सीतामढ़ी को उपावंटित किया जाता है।

क्र0	नामित पदाधिकारी का नाम	कुल आवंटित राशि
01	जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, सीतामढ़ी	2,97,18,304/–(दो करोड़ संतानवे लाख अठारह हजार तीन सौ चार) रूपया मात्र

2. उक्त स्वीकृत्यादेश के अनुरूप स्वीकृत राशि का आवंटन (CFMS) प्रणाली के अंतर्गत जिला पदाधिकारी, सीतामढ़ी को उपलब्ध कराया गया है।
3. उक्त राशि की निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी के रूप में जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, सीतामढ़ी को नामित किया जाता है। राशि की निकासी जिला कोषागार, सीतामढ़ी से की जायेगी।
4. इस राशि की निकासी वित्त विभाग के ज्ञापांक–2561 प0वि0 दिनांक–17.04.1996 में वर्णित प्रावधानों के अर्न्तगत की जाएगी।
5. मुआवजा का भुगतान नियमानुसार शीघ्र किया जाएगा।
6. राशि की निकासी बिहार कोषागार संहिता 2011 के विहित प्रपत्र पर दिये जाने वाले प्रमाण–पत्र का उल्लेख अवश्य किया जाएगा।
7. उपयोगिता प्रमाण–पत्र वित्तीय नियमावली के अनुसार ससमय समर्पित किया जाएगा।

20/02/24 पर्यटन प्रभारी पदाधिकारी — वरीय प्रभारी पदाधिकारी — जिला पदाधिकारी, सीतामढ़ी।

ज्ञापांक–382 दिनांक–20/02/24

प्रतिलिपि:– कोषागार पदाधिकारी, सीतामढ़ी एवं जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, सीतामढ़ी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

20/02/24 पर्यटन प्रभारी पदाधिकारी — वरीय प्रभारी पदाधिकारी — जिला पदाधिकारी, सीतामढ़ी।

प्रभारी जिला सामान्य प्रशाखा, सीतामढ़ी

समाहरणालय सीतामढ़ी

जिला सामान्य प्रशाखा

(आदेश)

महालेखाकार, बिहार, पटना वित्त विभाग बिहार (पर्यटन विभाग) पटना के पत्रांक 115 प.वि. दिनांक 1E 2024 द्वारा सीतामढ़ी जिलान्तर्गत पुनौरा धाम मंदिर (परिसर के दक्षिण–पश्चिम छोर पर पर्यटन विभाग द्वारा नि इन्टीग्रेटेड भवन के पास विकास कार्य हेतु 0.8925 एकड़ रैयती भूमि अधिग्रहण के निमित राशि 3,47,82,337 (तीन करोड़ सैंतालिस लाख बेरासी हजार तीन सौ सैंतीस) रूपया मात्र का प्रशासनिक-स्वीकृति एवं वर्तमान वर्तमान वित्तीय वर्ष 2023–24 में ही इतनी राशि 3,47,82,337/–(तीन करोड़ सैंतालिस लाख बेरासी हजार तीन सैंतालीस) रूपये मात्र की निकासी एवं व्यय की स्वीकृति जिला पदाधिकारी, सीतामढ़ी को प्राप्त हुआ है।

1. प्राप्त राशि रूपये–3,47,82,337/–(तीन करोड़ सैंतालीस लाख बेरासी हजार तीन सौ सैंतिस) रूपये पर्यटकीय संरचनाओं के निर्माण हेतु वित्तीय वर्ष 2023–24 के संसूचित राज्य योजना उद्व्यय के 1 शीर्ष–5452–पर्यटन पर पूंजीगत परिव्यय उप मुख्य शीर्ष–01–पर्यटन अवसंरचना लघु शीर्ष 101 पर केन्द्र, उप शीर्ष–0104–पर्यटकीय संरचनाओं का विकास एवं विपत्र कोर्ड–46–5452011010104, f शीर्ष–5302– भू–अर्जन मद में उपबंधित राशि से विलननीय होगा। एवं कुल आवंटित राशि को निम्न प्र जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, सीतामढ़ी को उपावंटित किया जाता है।

क्र0	नामित पदाधिकारी का नाम	कुल आवंटित राशि
1	जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, सीतामढ़ी।	3,47,82,337/–(तीन करोड़ सैंतालीस लाख बेरासी 1 तीन सौ सैंतिस) रूपये मात्र।

2. उक्त स्वीकृत्यादेश के अनुरूप स्वीकृत राशि का आवंटन (CPMS) प्रणाली के अंतर्गत जिला पदाधि सीतामढ़ी को उपलब्ध कराया गया है।
3. उक्त राशि की निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी के रूप में जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, सीतामढ़ी को न किया जाता है। राशि की निकासी जिला कोषागार, सीतामढ़ी से की जायेगी।
4. इस राशि की निकासी वित्त विभाग के ज्ञापांक 2561 दिनांक 17.04.1998 में वर्णित प्रावधानों के अर्न्तगत जाएगी।
5. मुआवजा का भुगतान नियमानुसार शीघ्र किया जाएगा।
6. राशि की निकासी बिहार कोषागार संहिता 2011 के विहित प्रपत्र पर दिये जाने वाले प्रमाण–पत्र की उप आवश्य किया जाएगा।
7. उपयोगिता प्रमाण–पत्र वित्तीय नियमावली के अनुसार ससमय समर्पित किया जाएगा।

ह0/–
जिला पदाधिकारी
सीतामढ़ी।

ज्ञापांक :– 210 / दिनांक :– 25 / 01 /2024

प्रतिलिपि :– कोषागार पदाधिकारी, सीतामढ़ी/भू–अर्जन पदाधिकारी, सीतामढ़ी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

जिला पदाधिकारी,
सीतामढ़ी।

बिहार सरकार
पर्यटन विभाग

संचिका संख्या :– पर्य०यो०स्था०–28 / 2023

पत्रांक 115 प०बि०, दिनांक 15 जनवरी, 2024

सेवा में,

महालेखाकार, (ले० एवं ह०)
बिहार, पटना।

द्वारा:– वित्त विभाग, बिहार।

विषय:– सीतामढ़ी जिलान्तर्गत पुनौराधाम मंदिर परिसर के दक्षिण–पश्चिम छोर पर पर्यटन विभाग द्वारा निर्मित इन्टीग्रेटेड भवन के पास विकास कार्य हेतु 0.8925 एकड़ रैयती भूमि अधिग्रहण के निमित्त राशि 3,47,82,337/– (तीन करोड़ सैंतालिस लाख बेरासी हजार तीन सौ सैंतीस) रुपया मात्र का प्रशासनिक स्वीकृति एवं वर्तमान वित्तीय वर्ष 2023–24 में इतनी ही राशि 3,47,82,337/– (तीन करोड़ सैंतालिस लाख बेरासी हजार तीन सौ सैंतीस) रूपये मात्र की निकासी एवं व्यय की स्वीकृति।

आदेश: स्वीकृत ।

2. उपर्युक्त स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों के अधीन प्रदान की जाती है :–

क– योजना का कुल प्राक्कलित राशि 3,47,82,337/– रूपये मात्र है। इस योजना के अन्तर्गत जिला पदाधिकारी सीतामढ़ी द्वारा भूमि 0.8925 एकड़ रैयती भूमि अधिग्रहण किया जायेगा। भूमि अधिग्रहण के उपरांत, अधिग्रहित भूमि का प्रभार एवं दाखिल कब्जा पर्यटन विभाग, बिहार सरकार के नाम से किया जायेगा। तदोपरांत अधिग्रहित होने वाले भूमि पर पर्यटकीय संरचनाओं के निर्माण किया जायेगा। इस योजना का कार्यकारी एजेंसी जिला पदाधिकारी, सीतामढ़ी होंगे।

जिला पदाधिकारी, सीतामढ़ी ने पत्रांक 1412 दिनांक 26.12.2023 द्वारा सीतामढ़ी जिलान्तर्गत मौजा– पुनौरा, थाना नं० 280, रकबा–0.8925 एकड़ भूमि पर्यटन क्षेत्र के विकास हेतु विभिन्न पर्यटक सुविधाऐं स्थापित करने के लिए चिन्हित की गयी है, जिसकी अनुमानित मूल्य लगभग 3,47,82,337/– (तीन करोड़ सैंतालिस लाख बेरासी हजार तीन सौ सैंतीस) रूपये मात्र के अधिग्रहण का प्रस्ताव उपलब्ध कराया गया है।

ख– तदनुसार सीतामढ़ी जिलान्तर्गत पुनौराधाम मंदिर परिसर के दक्षिण–पश्चिम छोर पर पर्यटन विभाग द्वारा निर्मित इन्टीग्रेटेड भवन के पास विकास कार्य हेतु 0.8925 एकड़ रैयती भूमि अधिग्रहण के निमित्त राशि 3,47,82,337/– (तीन करोड़ सैंतालिस लाख बेरासी हजार तीन सौ सैंतीस) रूपया मात्र का प्रशासनिक स्वीकृति एवं वर्तमान वित्तीय वर्ष 2023–24 में इतनी ही राशि 3,47,82,337/– (तीन करोड़ सैंतालिस लाख बेरासी हजार तीन सौ सैंतीस) रूपये मात्र की निकासी एवं व्यय की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

ग– पर्यटकीय संरचनाओं के निर्माण हेतु वित्तीय वर्ष 2023–24 के संसूचित राज्य योजना उद्व्यय के मुख्य शीर्ष– 5452– पर्यटन पर पूंजीगत परिव्यय, उप मुख्य शीर्ष– 01– पर्यटक अवसंरचना, लघु शीर्ष– 101– पर्यटक केन्द्र, उप शीर्ष– 0104– पर्यटकीय संरचनाओं का विकास एवं विपत्र कोड– 46–545201101010104, विषय शीर्ष– 5302–भू–अर्जन मद् में उपबंधित राशि से विकलनीय होगा।

घ– इस राशि की निकासी वित्त विभाग के ज्ञापांक 2561 दिनांक 17.04.98 में वर्णित प्रावधानों के अन्तर्गत की जायेगी। इसके अतिरिक्त वित्त विभाग द्वारा समय–समय पर निर्गत परिपत्रों को अनुपालन सुनिश्चित करेंगे।

ड.– इस राशि की निकासी जिला कोषागार, सीतामढ़ी से की जायेगी। इस राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, जिला पदाधिकारी, सीतामढ़ी होंगे।

च– निर्गत स्वीकृत्यादेश के अनुरूप CFMS से आवंटन विमुक्त किया जायेगा।

3. योजना का कार्यान्वयन जिला पदाधिकारी, सीतामढ़ी द्वारा किया जायेगा तथा वे योजना के कार्यान्वयन के लिए निर्धारित अपनी कार्य योजना से विभाग को अवगत करायेंगे। उनके द्वारा विमुक्त राशि का उपयोगिता प्रमाण–पत्र एवं योजना का विडियोग्राफ/फोटोग्राफ के साथ अनिवार्य रूप से प्रत्येक माह वित्तीय एवं भौतिक प्रगति प्रतिवेदन पर्यटन विभाग को उपलब्ध कराया जायेगा। अगर कोई राशि उनके

पास अधिशेष रह जाती है, तो उसे भी पर्यटन विभाग, बिहार सरकार को वापस किया जायेगा। इस परियोजना के लिए आवंटित की जा रही राशि का व्यय एवं विचलन कार्य एजेंसी द्वारा अन्यत्र कार्य/योजना में नहीं किया जाएगा।

4. योजना के कार्यान्वयन में बिहार लोक निर्माण संहिता, बिहार लोक कार्य लेखा संहिता, बिहार वित्तीय नियमावली एवं बिहार कोषागार संहिता के सुसंगत नियमों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

5. संबंधित वास्तुविद् (अगर उनकी सेवा ली गयी है) से भी कार्य एजेन्सी एक प्रमाण--पत्र प्राप्त कर विभाग को उपलब्ध करायेगें कि "यह कार्य उनकी देखरेख में कराया गया है तथा निर्मित संरचना पूरी तरह स्वीकृत योजना एवं अनुमोदित डिजाईन के अनुरूप है"।

6. योजना की प्रशासनिक स्वीकृति एवं राशि विमुक्ति पर सचिव, पर्यटन विभाग, बिहार, पटना का अनुमोदन संचिका– पर्य०यो०रा०-29/2023 के पृ०-02/टि० पर दिनांक-09.01.2024 को प्राप्त है एवं स्वीकृत्यादेश पर विभागीय आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति उक्त संचिका के पृ०-13/टि० पर दिनांक-11.01.2024 को प्राप्त है।

7. महालेखाकार, बिहार से प्राधिकार पत्र निर्गत करने की आवश्यकता नहीं है।

राज्यपाल, बिहार के आदेश से,

15/1/24

सरकार के संयुक्त सचिव,
पर्यटन विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक - पर्य०यो०रा०-29/2023 - 115 /प०वि० पटना, दिनांक 15-1-2024

प्रतिलिपि :- कोषागार पदाधिकारी, जिला कोषागार, सीतामढ़ी की सेवा में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

15/1/24

सरकार के संयुक्त सचिव,
पर्यटन विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक - पर्य०यो०रा०-29/2023 - 115 /प०वि० पटना, दिनांक 15-1-2024

प्रतिलिपि :- महालेखाकार (लेखा परीक्षा), बिहार, पटना/विकास आयुक्त, बिहार/प्रधान सचिव, वित्त विभाग, बिहार, पटना/प्रधान सचिव, योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना/निदेशक, पर्यटन निदेशालय, बिहार, पटना/प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम लि०, पटना/जिला पदाधिकारी, सीतामढ़ी/माननीय मंत्री पर्यटन के आप्त सचिव, बिहार, पटना/ सचिव, पर्यटन के प्रधान आप्त सचिव, बिहार, पटना/मुख्य अभियंता, बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम, पटना/विशेष कार्य पदाधिकारी, पर्यटन विभाग, बिहार, पटना/उप निदेशक/विधायी शाखा/लेखा शाखा, पर्यटन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

15/1/24

सरकार के संयुक्त सचिव,
पर्यटन विभाग, बिहार, पटना।

अनुमंडल कार्यालय, सीतामढ़ी सदर।
(सामान्य प्रशाखा)

पत्रांकः– 1419 /सा0,

प्रेषक,

अनुमंडल पदाधिकारी,
सीतामढ़ी सदर।

सेवा में,

प्रभारी पदाधिकारी,
जिला सामान्य प्रशाखा, सीतामढ़ी।

दिनांक:– 24 नवम्बर, 2022

विषय : राज्य में पर्यटन क्षेत्र में असीम संभावनाओं के कार्यान्वियन हेतु प्राथमिकता अनुसार पर्यटन स्थलों की सूची उपलब्ध कराने एवं अन्य संबंधित बिन्दुओं के संबंध।

प्रसंग : आपका ज्ञाप सं0– 2167, दिनांक– 11.11.22

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के संबंध में कहना है कि राज्य में पर्यटन क्षेत्र में असीम संभावनाओं के कार्यान्वियन हेतु अंचलो से प्राप्त प्राथमिकता अनुसार पर्यटन स्थलों की सूची आयोग द्वारा उपलब्ध कराये गये विहित प्रपत्र में भेजी जाती है।

अनुलग्नक–

1. श्री जानकी जन्मस्थली पुनौराधाम।
2. श्री जानकी मंदिर, सीतामढ़ी।
3. श्री सीताराम आश्रम (बगही मठ) रंजीतपुर।
4. श्री हलेश्वर स्थान, फतेहपुर गिरमिशानी।
5. श्री सुकेश्वर स्थान, मड़पा सिरपाल, बिसबिट्टा।

विश्वासभाजन

अनुमंडल पदाधिकारी,
सीतामढ़ी सदर।

समाहरणालय, सीतामढ़ी
(जिला सामान्य प्रशाखा)

पत्रांक:—1388 /जि०सा०,

प्रेषक,

जिला पदाधिकारी,
सीतामढ़ी।

सेवा में,

सरकार के प्रधान सचिव,
पर्यटन विभाग,
बिहार, पटना।

सीतामढ़ी, दिनांक 12 सितम्बर, 2016

विषय :— राज्य में पर्यटन प्रक्षेत्र में असीम संभावनाओं को देखते हुए महत्त्वाकांक्षी पर्यटन रोड मैप तैयार करने हेतु विहित प्रपत्र में प्रतिवेदन भेजने के संबंध में।

प्रसंग :— पर्यटन विभागीय पत्रांक—163, दिनांक—21.01.2016 तथा अंतिम अर्द्धसरकारी पत्रांक—563/गो०/प० वि०, दिनांक—04.08.2016

महाशय,

उपर्युक्त विषयक पर्यटन विभागीय प्रासंगिक पत्रों के आलोक में सीतामढ़ी जिला के निम्नांकित अंचलों में अवस्थित ऐतिहासिक, धार्मिक एवं दर्शनीय स्थलों के लिए रोड मैप तैयार करने हेतु संबंधित अंचल अधिकारियों से प्राप्त विहित प्रपत्र में प्रस्ताव संलग्न कर आवश्यक कार्रवाई हेतु भेजा जाता है :—

क्रमांक	अंचल का नाम	स्थल का नाम
1	डुमरा	(क) हलेश्वर स्थान A (ख) बगही मठ B (ग) जानकी स्थान A (घ) पुनौरा धाम A
2	सोनबरसा	महादेव मठ (ग्राम—मढ़िया) B
3	मेजरगंज	बाबा शुकेश्वर नाथ मन्दिर (ग्राम—मड़पासिरपाल) C
4	बथनाहा	राम जानकी मंदिर, पंथपाकड़ A
5	बोखड़ा	मौलाना बसारत करीम का मजार, गौढ़ौल शरीफ। B
6	बेलसंड	स्वामी मठ (लोहासी) B
7	पुपरी	बाबा नागेश्वर स्थान मंदिर, पुपरी B
8	बाजपट्टी	(क) भगवान बोधायन मंदिर सह सरोवर, बनगांव C (ख) रामजानकी मंदिर। C
9	सुरसंड	(क) राजाधिराज नवाही मंदिर, नवाही C (ख) वालमीकेश्वर नाथ मंदिर, सुरसंड C
10	रीगा	आकाशगामी बाबा अद्भुतनाथ ग्राम—अन्हारी B

अनु०—यथाउपर्युक्त।

9/9/2016
प्रशाखा पदा० — उपसमाहर्ता

विश्वासभाजन,
जिला पदाधिकारी
सीतामढ़ी

कार्यालय नगर निगम, समस्तीपुर

संoसंo–XXIX-01/2024 पत्रांक :– 3820 /

प्रेषक,

नगर आयुक्त,
नगर निगम, समस्तीपुर।

सेवा में,

जिला पदाधिकारी,
समस्तीपुर।

नo निo समo दिनांक :– 18 दिसम्बर, 2024

विषय :– बिहार विधान सभा पर्यटन उद्योग संबंधी समिति का स्थल अध्ययन यात्रा के संबंध में।

प्रसंग :– जिला गोपनीय प्रशाखा के पत्रांक–6963/सी0जी0 दिनांक–13.12.2024

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के संबंध में कहना है कि बिहार विधान सभा पर्यटन उद्योग संबंधी समिति का स्थल अध्ययन यात्रा से संबंधित प्रतिवेदन शून्य है।

विश्वासभाजन

18/12/24

नगर आयुक्त,
नगर निगम, समस्तीपुर।

समाहरणालय, समस्तीपुर
समस्तीपुर–848101
(जिला सामान्य प्रशाखा)

दूरभाष सं० :– 06274–222300 (का०)
06274–222301 (आ०)
फैक्स सं० :– 06274–222216
email :- generalsecspr@gmail.com

पत्रांक 3085 /सा०,

प्रेषक,

जिला कला एवं संस्कृति पदाधिकारी,
समस्तीपुर।

सेवा में,

जिला पदाधिकारी,
समस्तीपुर।

समस्तीपुर, दिनांक 21 दिसम्बर, 2024 ई०।

विषय :– बिहार विधान सभा की पर्यटन उद्योग संबंधी समिति की अध्ययन दल–01 का स्थल अध्ययन यात्रा के संबंध में।

प्रसंग :– भवदीय पत्रांक 6963/सी०जी०, दिनांक 13.12.2024

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के आलोक में कहना है कि इस शाखा में वर्तमान विगत तीन वित्तीय वर्षों के आय–व्यय में विभाग की विभिन्न योजनाओं के लिए किसी प्रकार का आवंटन प्राप्त नहीं हुआ है। इसे शून्य समझा जाय।

विश्वासभाजन

21.12.24

जिला कला एवं संस्कृति पदाधिकारी
समस्तीपुर।

समाहरणालय, समस्तीपुर

जिला कला, संस्कृति एवं पर्यटन प्रशाखा

जिला स्तरीय विभिन्न प्रशाखाओं की बैठक के संबंधित कला, संस्कृति एवं पर्यटन प्रशाखा से संबंधित प्रतिवेदन।

क्र०सं०	कार्यालय का नाम	योजना/विषय का विवरण	पर्यटक स्थल विकसित करने हेतु मुख्य बिन्दु	जिस कार्यालय में लंबित है, उस कार्यालय का नाम
1	2	3		4
1	जिला कला, संस्कृति एवं पर्यटन प्रशाखा, समस्तीपुर।	पाँड चम्पद, दलसिंहसराय में उत्खनन किये गये क्षेत्रा को सुरक्षित घोषित करने के संबंध में।	यह महाभारत कालीन पुरातत्व स्थल है। 1. विदेशी सैलानी स्थल पर आते हैं, लेकिन प्रदर्शनी व्यवस्था एवं ठहराव-परिवहन की व्यवस्था सुगम नहीं रहने के कारण वापस लौट जाते हैं। 2. पर्यटक ठहराव स्थल का निर्माण किया जा सकता है। 3. म्यूजियम का निर्माण अत्यंत आवश्यक है, ताकि प्राचीन सामग्री का प्रदर्शन हो। 4. यहाँ एक मंदिर है, जिसका सौंदर्यीकरण किया जा सकता है।	इस कार्यालय पत्रांक 1148/सं०, दिनांक 15.04.2023 के द्वारा विहित प्रपत्र में प्रतिवेदन सरकार के विशेष सचिव, पर्यटन विभाग, बिहार पटना को भेजा गया है। पत्रांक 1321, दिनांक 02.05.2023 को द्वारा स्थल को सुरक्षित घोषित करने हेतु निदेशक पुरातत्व बिहार, पटना को भेजा गया है तथा पत्रांक 1329/सं०, दिनांक 06.06.2023 द्वारा संग्रहालय निर्माण हेतु निदेशक, संग्रहालय निदेशालय, कला, संस्कृति एवं युवा विभाग, बिहार, पटना को भेजा गया। इस कार्यालय के पत्रांक 1750/सं०, दिनांक 14.06.2023 एवं पत्रांक 2602/सं०, दिनांक 06.09.2023 के द्वारा पुनः सरकार के अपर सचिव, पर्यटन विभाग, बिहार, पटना को स्मारित किया गया। पुनः पत्रांक 2225, 2226/सं०-दिनांक 05.08.2023, पत्रांक 2603/सं०, दिनांक 06.09.2023, पत्रांक 3025, 3026/सं०, दिनांक 13.11.2023, पत्रांक 286, 266, 287/सं०, दिनांक 01.02.2024 एवं पत्रांक 1408/सं०, दिनांक 01.07.2024 द्वारा स्मारित किया गया।
2	जिला कला, संस्कृति एवं पर्यटन प्रशाखा, समस्तीपुर।	मनोकामना देवी मंदिर/ब्रह्माकीनी, मोहिउद्दीननगर।	श्रद्धालु अपने मनोकामना पूर्ण होने की विश्वास से पूजा-अर्चना करने हेतु अधिक संख्या में आते रहते है।	इस कार्यालय पत्रांक 1161/सं०, दिनांक 15.04.2023 के द्वारा विहित प्रपत्र में प्रतिवेदन सरकार के विशेष सचिव, पर्यटन विभाग, बिहार पटना को भेजा गया है। कार्यालय पत्रांक 286/सं०, दिनांक 01.02.2024 एवं पत्रांक 1408/सं०, दिनांक 01.07.2024 द्वारा विभाग को स्मारित किया गया।
3	जिला कला, संस्कृति एवं पर्यटन प्रशाखा, समस्तीपुर।	बाबा अमर सिंह स्थान, शिउरा, पटोरी	1. धार्मिक मेला का आयोजन प्रत्येक वर्ष किया जाता है। 2. पर्यटक ठहराव स्थल का निर्माण किया जा सकता है।	इस कार्यालय पत्रांक 1026/सं०, दिनांक 04.04.2023 के द्वारा विहित प्रपत्र में प्रतिवेदन सरकार के विशेष सचिव, पर्यटन विभाग, बिहार पटना को भेजा गया। पुनः सचिव, पर्यटन विभाग, बिहार, पटना को पत्रांक 2114/सं० दिनांक 03.08.2022 द्वारा उक्त स्थल को विकसित किए जाने की आवश्यकता, भविष्य में उसके होने वाले पर्यटन की क्षमता/सम्भव वृद्धि, देशी एवं विदेशी पर्यटकों की संख्या एवं निर्माणोपरान्त रख-रखाव व्यवस्था सहित स्पष्ट योजना की मांग की गई है। उक्त के आलोक में इस कार्यालय के पत्रांक 3623/सं०, दिनांक 16.08.2022, 3758/सं०, दिनांक 05.10.2022, 646/सं०, दिनांक 13.03.2023 एवं पत्रांक 2134/सं० दिनांक 26.07.2023 के द्वारा अनुमंडल पदाधिकारी, पटोरी से स्पष्ट योजना विहित प्रपत्र में भेजने हेतु अनुरोध किया गया है, जो अप्राप्त है। कार्यालय पत्रांक 286/सं०, दिनांक 01.02.2024 एवं पत्रांक 1408/सं० दिनांक 01.07.2024 द्वारा विभाग को स्मारित किया गया।
4	जिला कला, संस्कृति एवं पर्यटन प्रशाखा, समस्तीपुर।	कबीर मठ एवं गिरहा, ग्राम का फगुआ पोखर डीही, रोसड़ा	समस्तीपुर जिलान्तर्गत रोसड़ा प्रखंड में कबीर मठ एवं गिरहा पर्यटक स्थल के रूप में चिन्हित है।	इस कार्यालय पत्रांक 1161/सं०, दिनांक 15.04.2023 के द्वारा विहित प्रपत्र में प्रतिवेदन सरकार के विशेष सचिव, पर्यटन विभाग, बिहार पटना को भेजा गया है। कार्यालय पत्रांक 286/सं०, दिनांक 01.02.2024 द्वारा विभाग को स्मारित किया गया।
5	जिला कला, संस्कृति एवं पर्यटन प्रशाखा, समस्तीपुर।	बाबा खास मजार, रोसड़ा।	बाबा खास मजार, रोसड़ा में प्रतिवर्ष उर्स का आयोजन किया जाता है।	इस कार्यालय पत्रांक 1161/सं०, दिनांक 15.04.2023 के द्वारा विहित प्रपत्र में प्रतिवेदन सरकार के विशेष सचिव, पर्यटन विभाग, बिहार पटना को भेजा गया है। कार्यालय पत्रांक 286/सं०, दिनांक 01.02.2024 द्वारा विभाग को स्मारित किया गया।
6	जिला कला, संस्कृति एवं पर्यटन प्रशाखा, समस्तीपुर।	मंगलगढ़, हसनपुर।	हसनपुर प्रखंड अन्तर्गत मंगलगढ़ पुरातत्व स्थल है।	इस कार्यालय पत्रांक 1161/सं०, दिनांक 15.04.2023 के द्वारा विहित प्रपत्र में प्रतिवेदन सरकार के विशेष सचिव, पर्यटन विभाग, बिहार पटना को भेजा गया है। कार्यालय पत्रांक 286/सं०, दिनांक 01.02.2024 द्वारा विभाग को स्मारित किया गया।

	कार्यालय का नाम	योजना/विषय का विवरण	पर्यटक स्थल विकसित करने हेतु मुख्य बिन्दु	जिस कार्यालय में लंबित है, उस कार्यालय का नाम
1	2	3		4
7	जिला कला, संस्कृति एवं पर्यटन प्रशाखा, समस्तीपुर।	शिव मंदिर, पूसा।	शिव मंदिर में श्रद्धालुओं अपने मनोकामना पूर्ण होने की विश्वास से पूजा–अर्चना करने हेतु अधिक संख्या में आते है, तथा जलाभिषेक करते है।	इस कार्यालय पत्रांक 1390/सां०, दिनांक 11.05.2023 के द्वारा प्रतिवेदन सरकार के विशेष सचिव, पर्यटन विभाग, बिहार पटना को भेजा गया है। कार्यालय पत्रांक 296/सां०, दिनांक 01.02.2024 एवं पत्रांक 1495/सां० दिनांक 01.07.2024 द्वारा विभाग को स्मारित किया गया।
8	जिला कला, संस्कृति एवं पर्यटन प्रशाखा, समस्तीपुर।	थानेश्वर स्थान, समस्तीपुर।	शिव का अतिप्राचीन मंदिर है, जिसमें सम्पूर्ण जिला से श्रद्धालु जलाभिषेक करने आते है तथा सावन में श्रद्धालुओं द्वारा अधिक संख्या में जलाभिषेक किया जाता है।	इस कार्यालय पत्रांक 1390/सां०, दिनांक 11.05.2023 के द्वारा प्रतिवेदन सरकार के विशेष सचिव, पर्यटन विभाग, बिहार पटना को भेजा गया है। कार्यालय पत्रांक 296/सां०, दिनांक 01.02.2024 एवं पत्रांक 1495/सां० दिनांक 01.07.2024 द्वारा विभाग को स्मारित किया गया।
9	जिला कला, संस्कृति एवं पर्यटन प्रशाखा, समस्तीपुर।	शिव एवं पार्वती मंदिर, समस्तीपुर।	शिव एवं पार्वती मंदिर है, जिसमें सम्पूर्ण जिला से श्रद्धालु जलाभिषेक करने आते है।	इस कार्यालय पत्रांक 1390/सां०, दिनांक 11.05.2023 के द्वारा प्रतिवेदन सरकार के विशेष सचिव, पर्यटन विभाग, बिहार पटना को भेजा गया है। कार्यालय पत्रांक 296/सां०, दिनांक 01.02.2024 एवं पत्रांक 1495/सां० दिनांक 01.07.2024 द्वारा विभाग को स्मारित किया गया।
10	जिला कला, संस्कृति एवं पर्यटन प्रशाखा, समस्तीपुर।	बालेश्वर स्थान (उगना महादेव मंदिर), विद्यापतिधाम, विद्यापतिनगर।	यहाँ उगना महादेव मंदिर है एवं महाकवि विद्यापति की निर्वाण भूमि है। 1. मंदिर का प्रवेश द्वार के साथ सम्पूर्ण मंदिर परिसर का सौन्दर्यीकरण किया जा सकता है। 2. एक पोखर अवस्थित है, तीन तरफ से सीढ़ी निर्मित है। इसका सौन्दर्यीकरण किया जा सकता है। 3. एक धर्मशाला है, जिसका जीर्णोद्धार किया जा सकता है। 4. पर्यटक के ठहराव के लिए पर्यटन निगम द्वारा भवन निर्मित है, जिसका प्रत्येक साल टेण्डर होता है।	इस कार्यालय पत्रांक 1433/सां०, दिनांक 23.05.2023 के द्वारा प्रतिवेदन सरकार के विशेष सचिव, पर्यटन विभाग, बिहार पटना को भेजा गया है। कार्यालय पत्रांक 296/सां०, दिनांक 01.02.2024 एवं पत्रांक 1495/सां० दिनांक 01.07.2024 द्वारा विभाग को स्मारित किया गया।
11	जिला कला, संस्कृति एवं पर्यटन प्रशाखा, समस्तीपुर।	शिव गंगा, विद्यापतिनगर।	शिवगंगा, महाकवि विद्यापतिजी का समाधि स्थल है।	इस कार्यालय पत्रांक 1433/सां०, दिनांक 23.05.2023 के द्वारा प्रतिवेदन सरकार के विशेष सचिव, पर्यटन विभाग, बिहार पटना को भेजा गया है। कार्यालय पत्रांक 296/सां०, दिनांक 01.02.2024 एवं पत्रांक 1495/सां० दिनांक 01.07.2024 द्वारा विभाग को स्मारित किया गया।
12	जिला कला, संस्कृति एवं पर्यटन प्रशाखा, समस्तीपुर।	बाबा केवल महाराज स्थल, मोरवा। (बाबा केवल स्थान, इन्दवारा, मोरवा)	पटोरी अनुमंडल अन्तर्गत बाबा केवलधाम मंदिर एवं वार्षिक राजकीय मेला का आयोजन किया जाता है।	इस कार्यालय पत्रांक 1322/सां०, दिनांक 22.05.2023 के द्वारा विहित प्रपत्र में प्रतिवेदन सरकार के विशेष सचिव, पर्यटन विभाग, बिहार पटना को भेजा गया है। कार्यालय पत्रांक 296/सां०, दिनांक 01.02.2024 एवं पत्रांक 1495/सां० दिनांक 01.07.2024 द्वारा विभाग को स्मारित किया गया।
13	जिला कला, संस्कृति एवं पर्यटन प्रशाखा, समस्तीपुर।	खुदनेश्वर स्थान शिव मंदिर, मोरवा।	1. मंदिर के गर्भगृह में मूर्ति के साथ मजार अवस्थित है, जो साम्प्रदायिक एकता के प्रतीक के रूप में प्रसिद्ध है। 2. यहाँ एक वृहत पोखर है, जिसका सौन्दर्यीकरण किया जा सकता है। 3. पर्यटक ठहराव भवन का निर्माण कराया जा सकता है। 4. आवागमन का सुगम व्यवस्था है।	इस कार्यालय पत्रांक 1731/सां०, दिनांक 06.06.2023 के द्वारा प्रतिवेदन सरकार के विशेष सचिव, पर्यटन विभाग, बिहार पटना को भेजा गया है। कार्यालय पत्रांक 296/सां०, दिनांक 01.02.2024 एवं पत्रांक 1495/सां० दिनांक 01.07.2024 द्वारा विभाग को स्मारित किया गया।

	कार्यालय का नाम	योजना/विषय का विवरण	पर्यटक स्थल विकसित करने हेतु मुख्य बिन्दु	जिस कार्यालय में लंबित है, उस कार्यालय का नाम
1	2	3		4
14	जिला कला, संस्कृति एवं पर्यटन प्रशाखा, समस्तीपुर।	चण्डीपुर मंदिर, खानिकनगर।	माँ दुर्गा की सिद्धपीठ मंदिर एवं दर्शनीय स्थल	इस कार्यालय के पत्रांक [illegible]/सां०, दिनांक [illegible] के द्वारा सरकार के अपर सचिव, पर्यटन विभाग, बिहार पटना को भेजा गया है। कार्यालय पत्रांक [illegible]/सां०, दिनांक [illegible] एवं पत्रांक [illegible]/सां० दिनांक [illegible] द्वारा विभाग को स्मारित किया गया।
15	जिला कला, संस्कृति एवं पर्यटन प्रशाखा, समस्तीपुर।	मुसापुर मोईन, मुसापुर।	कल्याणपुर अंचल अन्तर्गत स्थित मुसापुर मोईन को पर्यटक स्थल घोषित के रूप में विकसित करने हेतु प्रक्रियाधीन।	इस कार्यालय पत्रांक [illegible]/सां०, दिनांक [illegible] के द्वारा विहित प्रपत्र में प्रतिवेदन सरकार के विशेष सचिव, पर्यटन विभाग, बिहार पटना को भेजा गया है। इस कार्यालय के पत्रांक [illegible]/सां०, दिनांक [illegible] के द्वारा पुनः स्मारित किया गया है। कार्यालय पत्रांक [illegible]/सां०, दिनांक [illegible] एवं पत्रांक [illegible]/सां० दिनांक [illegible] द्वारा विभाग को स्मारित किया गया।
16	जिला कला, संस्कृति एवं पर्यटन प्रशाखा, समस्तीपुर।	माँ सती मंदिर धुरमाना।	माँ सती मंदिर ग्राम–धुरमाना में स्थित है।	इस कार्यालय पत्रांक [illegible]/सां०, दिनांक [illegible] के द्वारा विहित प्रपत्र में प्रतिवेदन सरकार के विशेष सचिव, पर्यटन विभाग, बिहार पटना को भेजा गया है। कार्यालय पत्रांक [illegible]/सां०, दिनांक [illegible] एवं पत्रांक [illegible]/सां० दिनांक [illegible] द्वारा विभाग को स्मारित किया गया।
17	जिला कला, संस्कृति एवं पर्यटन प्रशाखा, समस्तीपुर।	सिमरिया भिण्डी, कल्याणपुर।	प्राचीन मंदिर है, जहाँ प्रत्येक मंगलवार एवं रविवार के दिन अत्यधिक श्रद्धालु दर्शन हेतु आते है। मान्यता है कि मंदिर में स्थापित भगवान की मूर्ति खुदाई के क्रम में पाया गया।	इस कार्यालय पत्रांक [illegible]/सां०, दिनांक [illegible] के द्वारा विहित प्रपत्र में प्रतिवेदन सरकार के विशेष सचिव, पर्यटन विभाग, बिहार पटना को भेजा गया है। कार्यालय पत्रांक [illegible]/सां०, दिनांक [illegible] एवं पत्रांक [illegible]/सां० दिनांक [illegible] द्वारा विभाग को स्मारित किया गया।
18	जिला कला, संस्कृति एवं पर्यटन प्रशाखा, समस्तीपुर।	माँ खिहाली/ब्रह्मेश्वर स्थान, सरायरंजन।	माँ खिहाली/ब्रह्मेश्वर स्थान आस्था से जुड़ा है, श्रद्धालु दर्शन करने आते है।	इस कार्यालय पत्रांक [illegible]/सां०, दिनांक [illegible] के द्वारा विहित प्रपत्र में प्रतिवेदन सरकार के विशेष सचिव, पर्यटन विभाग, बिहार पटना को भेजा गया है। कार्यालय पत्रांक [illegible]/सां० दिनांक [illegible] द्वारा स्मारित किया गया है।
19	जिला कला, संस्कृति एवं पर्यटन प्रशाखा, समस्तीपुर।	दैता पोखर, कल्याणपुर।	दैता पोखर के नाम से प्रसिद्ध है, जो आस्था से जुड़ा है, श्रद्धालु स्नान करने आते है।	इस कार्यालय पत्रांक [illegible]/सां०, दिनांक [illegible] के द्वारा विहित प्रपत्र में प्रतिवेदन सरकार के विशेष सचिव, पर्यटन विभाग, बिहार पटना को भेजा गया है। कार्यालय पत्रांक [illegible]/सां०, दिनांक [illegible] एवं पत्रांक [illegible]/सां० दिनांक [illegible] द्वारा विभाग को स्मारित किया गया।
20	जिला कला, संस्कृति एवं पर्यटन प्रशाखा, समस्तीपुर।	त्रिमुहानी शिव मंदिर, खानपुर।	त्रिमुहानी शिव मंदिर परिसर में मेला का आयोजन किया जाता है। जिसमें काफी संख्या में श्रद्धालुओं द्वारा जलाभिषेक किया जाता है।	इस कार्यालय पत्रांक [illegible]/सां०, दिनांक [illegible] के द्वारा सरकार के अपर सचिव, पर्यटन विभाग, बिहार पटना को भेजा गया है। कार्यालय पत्रांक [illegible]/सां०, दिनांक [illegible] एवं पत्रांक [illegible]/सां० दिनांक [illegible] द्वारा विभाग को स्मारित किया गया।
21	जिला कला, संस्कृति एवं पर्यटन प्रशाखा, समस्तीपुर।	सुन्दर माता मंदिर, सरैया, सरायरंजन।	सुन्दर माता मंदिर का दर्शन करने जिले सभी जगहों से श्रद्धालुगण आते रहते है तथा पूजा–पाठ करते है।	इस कार्यालय पत्रांक [illegible]/सां०, दिनांक [illegible] के द्वारा विहित प्रपत्र में प्रतिवेदन सरकार के विशेष सचिव, पर्यटन विभाग, बिहार पटना को भेजा गया है। कार्यालय पत्रांक [illegible]/सां०, दिनांक [illegible] एवं पत्रांक [illegible]/सां० दिनांक [illegible] द्वारा विभाग को स्मारित किया गया।
22	जिला कला, संस्कृति एवं पर्यटन प्रशाखा, समस्तीपुर।	सिंघिया घाट, शिव मंदिर, विभूतिपुर।	शिव का अतिप्राचीन मंदिर है, जिसमें सम्पूर्ण जिला से सावन में जलाभिषेक श्रद्धालुओं द्वारा किया जाता है।	इस कार्यालय पत्रांक [illegible]/सां०, दिनांक [illegible] के द्वारा विहित प्रपत्र में प्रतिवेदन सरकार के विशेष सचिव, पर्यटन विभाग, बिहार पटना को भेजा गया है। कार्यालय पत्रांक [illegible]/सां०, दिनांक [illegible] एवं पत्रांक [illegible]/सां० दिनांक [illegible] द्वारा विभाग को स्मारित किया गया।
23	जिला कला, संस्कृति एवं पर्यटन प्रशाखा, समस्तीपुर।	भगवती स्थान, करियन।	श्रद्धालु माँ भगवती के दर्शन करने आते है तथा पूजा–पाठ करते है।	इस कार्यालय पत्रांक [illegible]/सां०, दिनांक [illegible] के द्वारा विहित प्रपत्र में प्रतिवेदन सरकार के विशेष सचिव, पर्यटन विभाग, बिहार पटना को भेजा गया है। कार्यालय पत्रांक [illegible]/सां०, दिनांक [illegible] एवं पत्रांक [illegible]/सां० दिनांक [illegible] द्वारा विभाग को स्मारित किया गया।
24	जिला कला, संस्कृति एवं पर्यटन प्रशाखा, समस्तीपुर।	आवासीय प्रशिक्षण केन्द्र से संबंधित प्रस्ताव	कला, संस्कृति एवं युवा विभाग द्वारा कला, संस्कृति के संरक्षण, संवर्द्धन एवं विकास हेतु आवासीय प्रशिक्षण केन्द्र खोले जाने हेतु स्थल (कल्याणपुर प्रखंड) का चयन कर एकरारनामा की कार्रवाई पूर्ण कर लिया गया है।	इस कार्यालय पत्रांक [illegible]/सां०, दिनांक [illegible] के द्वारा निदेशक, सांस्कृतिक कार्य, कला, संस्कृति एवं युवा विभाग (सांस्कृतिक कार्य निदेशालय) बिहार, पटना को स्थल (कल्याणपुर प्रखंड) का चयन कर एकरारनामा किये जाने संबंधी प्रतिवेदन भेजा गया है।

जिला कला एवं संस्कृति पदाधिकारी
समस्तीपुर।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा मुद्रित
2025